रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2018/आषाढ़ 4, 1940
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2018/ASHADHA 4, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ठ), खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्तिथि अस्तित्व) विनियम, 2018 है।

विनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 के 23) के प्रावधानों के तहत अन्य विनियमित और प्रशासित योजनाओं के लिए स्वतंत्र, सुदृढ़ और प्रभावी वितरण तंत्र को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करने का है कि उपस्थिति अस्तित्व की विपणन पद्धतियाँ वृद्धावस्था आय सुरक्षा के प्रावधान के लिए अभिदाताओं के हितों के संवर्धन और संरक्षा के लिए ऋजु, दक्ष और पारदर्शी हों।

(2) यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015, दिनांक 04 मार्च 2015 को अधिसूचित तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(संकलनकर्ता) विनियम, 2015 तथा उसके संशोधन निरसित और निरस्त हो जाएंगे किन्तु, ऐसे अधिनियम जिनमें मौजूदा उपस्थिति अस्तित्वों और संकलनकर्ताओं को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण तथा कथित विनियमों के तहत ऐसी ईकाईयों द्वारा किये जाने वाले अनुपालन जारी रहेंगे। निरस्तीकरण का अधिकरण या निरस्त विनियम के तहत की गई पूर्व संक्रियाओं पर या तदनुसार कोई भी विधिवत् रूप से किया गए क्रियाकलाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उस आधार पर प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार,

विशेषाधिकार, बाध्यता या अर्जित देयता या कोई दंड और किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रोद्भूत सज़ा या होने वाली कोई सज़ा तथा कोई कार्रवाई और प्रतिकार संस्थापित, जारी या लागू, तथा कोई भी दंड तथा सज़ा आरोपित या निर्मित यह सोच कर की जा सकेगी जैसे विनियम को निरस्त नहीं किया गया था ।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है :

(ख) "संपरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन किसी कम्पनी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए अर्हित है ;

(ग) " भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अधीन भारत का नागरिक होने के लिए अर्हक है ;

(घ) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुपालन अधिकारी" से उपस्थिति अस्तित्व से उत्तरदायी ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों या अनुदेशों का उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अनुपालन किये जाने को मानीटर करने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है ;

(च) "अटल पेंशन योजना (एपीवाई)" का अर्थ है अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे भारत सरकार की अधिसूचना संख्या. फा.सं16/1/2015-पीआर के द्वारा अधिसूचित किया गया, जो कि 06.10.2015 से प्रभावी हुई तथा इसमें उसके सभी संशोधन सम्मिलित होंगे ;

(छ) इन विनियमों के लिए "पेंशन योजनाओं" में, प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली योजनाएं सम्मिलित होंगी जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस लाइट-स्वावलंबन तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्रशासित या भारत सरकार की अन्य कोई भी पेंशन योजना ;

(ज) "उपस्थिति अस्तित्व-उप इकाई" से ऐसा अस्तित्व (इकाई) अभिप्रेत है, जिसे किसी रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी उपस्थिति अस्तित्व का कोई भी कृत्य या बाध्यता सौंपी गयी है और जिसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है ;

(झ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट" में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन ऐसी स्कीम अभिप्रेत हैं जिसमें असंगठित सेक्टर से, जिसकी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- स्वावलंबन एक ऐसा संघटक है, जिसमें भारत सरकार का अभिदाय अनुज्ञेय था, सम्बंधित अभिदाताओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के आशावान समूह मॉडल की एक विशेषता का उपबंध है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो सम्बंधित अधिनियमों में उनके हैं।

अध्याय-II

उपस्थिति अस्तित्वों का रजिस्ट्रीकरण

3. **उपस्थिति अस्तित्वों के वर्ग** – (1) उपस्थिति अस्तित्वों के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी एक या ज्यादा श्रेणी के लिए किये जा सकते हैं, नामतः

i. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)- भौतिक माध्यमों तथा ऑनलाइन मंच द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण तथा सेवाएँ प्रदान करना

ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)- केवल ऑनलाइन मंच द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए वितरण तथा सेवाएँ प्रदान करना

iii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)- भौतिक माध्यमों या ऑनलाइन मंच द्वारा केवल अपने कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों के लिए वितरण तथा सेवाएँ प्रदान करना

परन्तु केवल ऐसी इकाइयों को ही कार्य करने की अनुमति होगी जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या वस्तु तथा सेवाएँ अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत, अपने कर्मचारियों को सामजिक सुरक्षा लाभों के लिए आवृत किया है तथा आवेदन की तिथि से कम से कम 2 वर्ष पहले प्राधिकरणों के साथ कथित अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो ।

iv. एनपीएस लाइट-स्वाबलंबन योजना

v. अटल पेंशन योजना

vi. पीएफआरडीए द्वारा विनियमित या प्रशासित कोई भी अन्य योजना

(2) आवेदकों को, उपस्थिति अस्तित्वों के एक या सभी वर्गों, जो उप-विनियम (1) में वर्णित है, जो कि उसके लिए यथानिर्धारित योग्यता मानदंडों को पूर्ण करने की शर्त के अधीन है, पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अनुमति है। ऐसे आवेदक उप-विनियम (1) के तहत यथा अनुज्ञप्त, किसी भी या ऐसे सभी क्रियाकलापों के संपादन के लिए पंजीकरण का विकल्प चुन सकते हैं तथा प्राधिकरण को प्राप्त आवेदन को उसी क्रियाकलाप/पों के लिए समझा जाएगा जिसके लिए वह प्राप्त हुआ है। कोई भी आवेदक, जिसने आवेदनपत्र भरते समय, उप-विनियम (1) के तहत एक से अधिक क्रियाकलाप का विकल्प नहीं चुना है, ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए, निर्धारित शुल्क के 50% शुल्क के साथ, लागू शर्तों को पूर्ण करने पर, दूसरे क्रियाकलाप में पंजीकरण प्राप्त करने के लिए योग्य होगा।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन- (1) ऐसा कोई आवेदक, जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करता है, उपस्थिति अस्तित्व के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए ऐसे आवेदन प्रारूप, जो कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, को दस हज़ार रुपये के अप्रतिदेय शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण आवेदक से ऐसा आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर उस आवेदन प्रारूप के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति रसीद देगा।

(2) आवेदक प्राधिकरण से उपस्थिति अस्तित्व के रूप में रजिस्ट्रीकरण दिए जाने के उसके आवेदन को स्वीकार किये जाने के बारे में संसूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पच्चीस हज़ार रुपए की आरंभिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेगा ;

परन्तु कोई उपस्थिति अस्तित्व अटल पेंशन योजना के अभिदाताओं के खाता खोलने तथा उन्हें सेवाएँ प्रदान करने या जो अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ प्रदान करने से सम्बंधित क्रियाकलापों को आयोजित करने का प्रस्ताव रखता हैं तो उसे कोई आवेदन तथा पंजीकरण शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) ऐसे आवेदन को जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो और आवेदन प्रारूप तथा इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हों, नामंजूर कर दिया जाएगा :

परन्तु ऐसे किसी आवेदन को नामंजूर करने के पूर्व आवेदक को, ऐसे समय के भीतर, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, आवेदन वापस लेने या सभी प्रकार से भरने और गलतियों को, यदि कोई हो, दूर करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए आवेदक से अतिरिक्त जानकारी की ईप्सा कर सकेगा:

परन्तु प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त जानकारी की सुसंगति के बारे में कारण लेखबद्ध करेगा।

(5) कोई भी उपस्थिति अस्तित्व या संकलनकर्ता जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम 2015 के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था, उपस्थिति अस्तित्व तथा/या संकलनकर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो, कार्य ज़ारी रख सकता है तथा इन विनियमों के प्रावधानों के तहत इनको रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा और इसके लिए प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन उसे एक नया रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा। ऐसे उपस्थिति अस्तित्व या संकलनकर्ता, विनियम 3 के उप विनियम (1) के तहत अंकित ऐसे क्रियाकलापों, जिसके लिए वर्तमान में उसके पास कोई पंजीकरण नहीं है, के लिए अतिरिक्त रूप से भी पंजीकरण की मांग कर सकते है ;

(6) कोई भी उपस्थिति अस्तित्व जो अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के वितरण तथा इसके अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं की सेवाओं के कार्य में संलग्न है, जिसे प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार कार्य करने हेतु इन विनियमों की अधिसूचनाओं से पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गयी है, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए या बढ़ाए गए समय तक या इन विनियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए 90 दिनों के भीतर आवेदन करता है और उसके आवेदन का प्राधिकरण द्वारा निपटान किये जाने तक उस रूप में कार्य कर सकता है।

5. योग्य और समुचित व्यक्ति- मानदंड या पात्रता- (1) इस विनियम के तहत, उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की ईप्सा रखने वाले आवेदकों को प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर, निर्दिष्ट पात्रता मानदंड सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण करना होगा। रजिस्ट्रीकरण के लिए, इन विनियमों के, ऐसे अन्य मानदंडों के अतिरिक्त, पात्रता मानदंड जिन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता होगी निम्नलिखित होंगे, नामतः

(क) भारत में किसी भी विनियामक द्वारा, जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय आवास बैंक भी है, रजिस्ट्रीकृत और विनियमित हो ;

(ख) भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक प्रमाण के साथ (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीस), माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटयूशंस (एमएफआई) या केंद्र और राज्य सरकारों की इकाइयां/विभाग/मंत्रालय या केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसी निर्दिष्ट लाभार्थियों के समूह के लिए निर्मित इकाइयां या बैंकिंग अधिनियम, 1949 (1949 का 10) या अन्य कोई ईकाई या इकाईयों का समूह, जो कि प्रासंगिक कानूनों के तहत रजिस्ट्रीकृत हों, यदि प्राधिकरण के मत में कोई हों, ऐसी इकाई या इकाइयों का समूह जो पेंशन योजनाओं तथा पेंशन क्षेत्रों के विकास की सुविधा अपने अभिदाता आधार के समावेशन द्वारा प्रदान करता है ;

(ग) उसकी भारत में न्यूनतम पंद्रह शाखाएं हों तथा प्रत्येक शाखा में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण से इलेक्ट्रोनिक रूप से जोड़े जाने की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और क्षमता हो । सेवा मानदंडों और प्राधिकरण द्वारा जारी उपयुक्त दिशानिर्देशों के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व द्वारा इन शाखाओं में से प्रत्येक द्वारा अभिदाता का अभिदाय और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की प्रदर्शित क्षमता होनी चाहिए । परन्तु यह विनियम 3 की उपधारा (ii), (iii) एवं (v) के तहत आवृत इकाइयों पर लागू नहीं होगा ;

(घ) उसके पास 75 लाख रुपए की, जिसके अंतर्गत ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को न्यूनतम पचास लाख रुपए की पूंजी भी है, न्यूनतम शुद्ध धन (समादत्त पूंजी जमा निःशुल्क आरक्षितियां) हो :

परन्तु ऐसी शर्त, पर्याप्त पूंजी प्रावधान के साथ उपलब्ध आवेदक (बैंक से भिन्न) या केंद्र या राज्य सरकारों कि किसी ईकाई/विभाग/मंत्रालयों जो कि अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलापों को करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, के मामले में लागू नहीं होगा ;

(ङ) किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक या किसी न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी ईकाई या उसके किसी भी प्रमुख अधिकारियों में से किसी को नैतिक अधमता वाले किसी अपराध, आर्थिक अपराधों, किसी प्रतिभूति या बैंककारी विधि के अतिक्रमण या कपट के लिए दोषसिद्धि और अवरोध आदेशों या किसी बड़े दंड का आरोपण न होना ;

(च) ऐसे किन्हीं मानदंडों के अनुरूप होना, जो प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और पेंशन उद्योग के क्रमिक विकास के लिए संकल्पों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों के रुप में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं ;

(छ) ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को, पूर्व २ वर्ष से लाभप्रदता (कर के बाद लाभ) का कार्य रिकॉर्ड होना चाहिए, परन्तु ऐसी शर्त उन आवेदकों जो (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) हैं , जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त है और अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलापों को आयोजित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट पूंजी सम्बन्धी मामलों की आवश्यकताओं को पूर्व वर्ष में हुई हानियों के स्थान में माना जाएगा या (ii) एक ऑनलाइन विपणन कंपनी जो पेंशन योजनाओं को वितरित करती है या केंद्र या राज्य सरकारों की ईकाईयों/विभागों/मंत्रालयों, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा ;

परन्तु इसके अतिरिक्त यह शर्त, नए भुगतानकारी बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों तथा इकाइयों जो सामान सेवाएँ प्रदान करती हैं यदि उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी ईकाई द्वारा सम्बंधित नियामक के साथ रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन किया गया है, के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा ;

6. सूचना का प्रकटन- (1) प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, आवेदक द्वारा किये गए ऐसे आवेदन पर, प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वेबसाइट पर, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा बनाई गयी वेबसाइट भी सम्मिलित है , ऐसी सूचना डालकर जनसाधारण को प्रकट कर सकेगा :

परन्तु आवेदक द्वारा दी गयी अन्य सुसंगत सूचना और जो आवेदक की वाणिज्यिक गोपनीयता और प्राइवेट सूचना से, जिसे वह गोपनीय बताए, सम्बंधित है, प्राधिकरण द्वारा, किसी विधि या नियमों के उपबंधों के या, यथास्थिति, किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा उद्घोषित किसी आदेश या विनिश्चय के, जो ऐसे प्रकटन को आज्ञापक बनाता हो, अधीन रहते हुए प्रकट नहीं की जा सकेगी ।

(2) इन विनियमों के अधीन दी गयी या वेबसाईट पर डाली गयी सूचना में से किसी तात्विक परिवर्तन की सूचना आवेदक द्वारा तुरंत, किन्तु ऐसे परिवर्तन के होने के पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी ।

7. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना – (1) विनियम 4 के उपविनियम (4) के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटारे के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात, ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक या उसका प्रधान अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, आवेदन के सम्बन्ध में किसी व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा ।

(2) आवेदक ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण, प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्राधिकरण द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा ।

8. सूचना का सत्यापन – (1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन, दी गई सूचना और उसकी पात्रता पर विचार करते समय, प्राधिकरण, यदि वह ऐसी वांछा करे, दस्तावेजों, कार्यालय स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर सूचना को सत्यापित कर सकेगा और कार्यालय स्थल की उपलब्धता, अवसंरचना और तकनीकी अवलंब, जिसका आवेदक के पास होना अपेक्षित है का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत उसका कोई अधिकारी या कोई बाहरी संपरीक्षक या अभिकरण भी है, नियुक्त कर सकेगा ।

9. आवेदन पर विचार किया जाना- (1) प्राधिकरण आवेदन की पात्रता तथा ऐसे आवेदक को प्रमाणपत्र दिए जाने पर विचार करते हुए, उन सभी विषयों को ध्यान में रखेगा, जो वह पेंशन सेक्टर और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुसंगत समझें, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:-

(क) क्या आवेदक या उसके किसी सहयोजक को, पूर्व में, विनियामकों में से किसी के द्वारा, जिनके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आवास बैंक भी हैं या कोई अभिकरण जो ऐसी ईकाई जो आवेदक को नियंत्रित करती है यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने से इनकार किया गया है, यदि हाँ, तो ऐसे आवेदक या उसके सहयोजक जो उसको नियंत्रित करती है, को किये गए इनकार के कारण या क्या आवेदक या उसके सहायक या प्रमुख अधिकारी पर नैतिक अधमता वाले किसी अपराध, आर्थिक अपराधों, किसी प्रतिभूति या बैंककारी विधि के अतिक्रमण या कपट के लिए दोषसिद्धि हुआ है ;

(ख) क्या आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदंडों और अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ग) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र का दिया जाना अभिदाताओं के हित में है या पेंशन सेक्टर के या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य कोई पेंशन योजना जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित और प्रशासित हैं, के क्रमिक विकास के उद्देश्यपरक हैं ।

(2) प्राधिकरण, प्राधिकरण द्वारा अवधारित तारीख, समय और स्थान में आवेदक को प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, यदि जरुरी समझा गया । ऐसे प्रस्तुतीकरण का प्रयोजन आवेदकों को, प्राधिकरण को अपने प्रस्ताव और अपने प्रस्तावों की प्रमुख बिन्दुओं को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात करने का है ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के ऐसे किसी आवेदन को –

(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और अपेक्षाओं तथा इस विनियमों में विनिर्दिष्ट सुसंगत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है ; या

(ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं है ; या

(ग) जो अशुद्ध, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है ; या

(घ) जहाँ आवेदक ने इन विनियमों या सुसंगत विनियमों के अधीन नियत पात्रता की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है ; या

(ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित में नहीं है और/ या पेंशन सेक्टर तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य कोई पेंशन योजना जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित और प्रशासित हैं, के क्रमिक विकास के उद्देश्यपरक हित में नहीं है ; या

(च) जहाँ आवेदक योग्य और समुचित व्यक्ति नहीं है या इन विनियमों में यथा उपबंधित अपेक्षाओं का पालन नहीं कर रहा है, प्राधिकरण द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) आवेदन नामंजूर किए जाने के पूर्व, आवेदक को उन कमियों को, जिन्हें दूर किया जा सकता है, तत्प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उन त्रुटियों को दूर करने के लिए लिखित में अवसर दिया जाएगा :

परन्तु जहाँ आवेदन इस कारण से नामंजूर किया जाता है कि इसमें मिथ्या या भ्रामक जानकारी अंतर्विष्ट है, वहां ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आवेदक इन विनियमों के अधीन या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कोई आवेदन नहीं करेगा ।

(5) विनियम 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने सम्बन्धी आवेदन का, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, प्राधिकरण द्वारा सामान्यतया ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की प्रक्रिया – (1) प्राधिकरण इस बात पर कि आवेदक इन विनियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है तो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा और इस बारे में आवेदक को सूचना भेजेगा:

परन्तु जहाँ प्राधिकरण या किसी अन्य नियामक या न्यायालय या अधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित है जिसके परिणामस्वरुप रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है, वहां प्राधिकरण सशर्त रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा ।

(2) सफल आवेदक, जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है, उसे प्रतिभूति निक्षेप को बैंक गारंटी या बैंक सावधि जमा के रूप में जो कि प्राधिकरण के पक्ष में उचित ग्रहणाधिकार के साथ हो, जो अपनी शुद्ध मालियत का एक प्रतिशत या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर हो, को जमा कराना अपेक्षित होगा। अधिकतम प्रतिभूति निक्षेप 20 लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा। विनिर्दिष्ट निक्षेप आवेदक को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा नहीं ले ली गयी है :

परन्तु ऐसे आवेदक के सम्बन्ध में, जो केवल अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलाप आयोजित करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना चाहता हो या केंद्र और राज्य सरकारों की ईकाइयों/विभाग/मंत्रालय को प्रतिभूति निक्षेप जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) यदि प्राधिकरण की प्रथमदृष्टया यह राय है कि उपस्थिति अस्तित्व या उपस्थिति अस्तित्व के अधीन कार्यरत उप ईकाई और प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत उपस्थिति अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया है या अधिनियम, नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो प्राधिकरण ऐसे उपस्थिति अस्तित्व के विरुद्ध जांच या अन्वेषण के लंबित रहने तक प्रतिभूति निक्षेप को कुर्क करने के आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) उपस्थिति अस्तित्व द्वारा प्रतिभूति निक्षेप की इस अपेक्षा का अधित्यजन किये जाने का अनुरोध करने पर, प्राधिकरण अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अनुरोधों पर कारणों को लेखबद्ध कर विचार कर सकता है ।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें - प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति अस्तित्व को अनुदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:-

(क) जहाँ उपस्थिति अस्तित्व अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, वहां वह अपनी प्रास्थिति या गठन में ऐसे परिवर्तन के पश्चात् उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) वह सुसंगत विनियमों के अनुसार लागू फीसों और उद्धरणों का संदाय करेगा ;

(ग) वह अधिनियमों, विनियमों के उपबंधों, ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों को, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं से आबद्धकर होगा ;

(घ) वह इस प्रकार अनूदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा ;

(ङ) कोई भी उपस्थिति अस्तित्व अपना कार्य तब तक आरम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं कराएगा, ऐसी ईकाइयों को छोडकर जहाँ ऐसी अपेक्षाएं लागू नहीं होती :

परन्तु, प्राधिकरण ऐसी अन्य और अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो अभिदाताओं के हित में तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पेंशन सेक्टर या अन्य कोई पेंशन योजनाएं जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित और प्रशासित हैं के क्रमिक विकास के लिए ठीक समझे ।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से से इनकार किये जाने का प्रभाव – (1) जहाँ किसी विद्यमान उपस्थिति अस्तित्व को इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इनकार किया गया है या उसने अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर दिया है या उसे विनियमों द्वारा अपेक्षित नवीनीकरण फीस का संदाय न करने पर प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति अस्तित्व के रूप में काम न करने का निर्देश दिया गया है या रजिस्ट्रीकरण निरस्त या प्रत्याहरित होने के कारण या न्यायालय के किसी आदेश द्वारा उसे परिसमापन करने का निदेश दिया गया है, वहां ऐसा उपस्थिति अस्तित्व-

(क) ऐसे उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने से तुरंत विरत हो जाएगा ;

(ख) अपने क्रियाकलाप ऐसे किसी अन्य उपस्थिति अस्तित्व को अंतरित करेगा जिसे ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और अभिदाताओं को अन्य उपस्थिति अस्तित्व के पास जाने देगा या

प्राधिकरण द्वारा निदेशित या बनाए गए विधि के अनुसार और सभी अंतर्निहित अभिदाताओं को उपस्थिति अस्तित्व में ऐसे परिवर्तन और उसके कारणों की सूचना देगा ;

(ग) उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उपगत या गृहीत दायित्व, यदि कोई हो, के बारे में उपबंध करेगा;

(घ) ऐसी अन्य कार्रवाई ऐसी समय-सीमा के भीतर और ऐसी रीति में करना, जो लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।

(2) इन विनियमों के अधीन उपस्थिति अस्तित्व को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इनकार करते समय, प्राधिकरण उपस्थिति अस्तित्व के अभिदाताओं के हित की संरक्षा के लिए उपस्थिति अस्तित्व पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उन शर्तों का पालन किया जाएगा।

13. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि – (1) अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, उपस्थिति अस्तित्व को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य बना रहेगा जब तक की उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए।

जहाँ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र शर्तों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किया गया है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण को ऐसी शर्तों के अध्यधीन माना जाएगा।

(2) उपस्थिति अस्तित्व रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या प्राधिकरण द्वारा अंतिम बार प्रतिगृहीत नवीकरण फीस के संदाय की तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पूर्व नब्बे दिन के भीतर नवीकरण फीस के प्रतिग्रहण के लिए प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट प्ररुप में आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि आवेदन नवीकरण फीस सहित प्राधिकरण के पास नवीकरण फीस के संदाय के लिए शोध्य तारीख से एक वर्ष के अपश्चात् पहुँचता है, तो विलम्ब की ऐसी अवधि के लिए एक हज़ार रुपए प्रतिमास की अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा प्राधिकरण को सन्देय होगी।

(3) नवीकरण फीस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत क्रियाकलापों से या अन्य पेंशन योजनाओं को एक साथ रख कर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उपार्जित प्रभारों के आधे प्रतिशत की दर पर परिकलित राशि होगी, जो कि नवीकरण फीस के रूप में न्यूनतम पच्चीस हज़ार रुपए और अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन होगी ;

परन्तु ऐसे आवेदक के सम्बन्ध में, केवल अटल पेंशन योजना के तहत क्रियाकलाप आयोजित करने हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना चाहता हो या केंद्र और राज्य सरकारों के ईकाइयों/विभाग/मंत्रालय के लिए शर्त लागू नहीं होगी।

14. कतिपय मामलों में पात्रता मानदंड से छूट – (1) यदि कोई आवेदक, विनियम 5 के उपविनियम (ग) तथा (छ) में शाखाओं की संख्या तथा लाभप्रदता से सम्बंधित यथा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों में से कोई मानदंड पूरा नहीं करता है, तो वह प्राधिकरण को आवेदन करके सम्यक औचित्य बताते हुए ऐसे पात्रता मानदंडों को पूरा करने से छूट देने की ईप्सा करते हुए अनुरोध कर सकेगा।

(2) यदि प्राधिकरण की राय में, आवेदक द्वारा पात्रता मानदंड के पूरा न किये जाने से और जिसके लिए शिथिलीकरण की अपेक्षा की गयी है, अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे मानदंड से छूट प्रदान कर सकेगा। प्राधिकरण, ऐसी परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

अध्याय 3

उपस्थिति अस्तित्व के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

15. उपस्थिति अस्तित्व के कर्तव्य और उत्तरदायित्व- (1) उपस्थिति अस्तित्व अपनी सेवा शाखाओं और कार्यालयों एवं जिनके अंतर्गत वे कार्यालय भी हैं, जहाँ सम्पूर्ण कारबार संक्रियाएं पूर्णतया ऑनलाइन प्लेटफार्म से की जाती हैं, के माध्यम से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों तथा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सेवा मानकों के अनुसार करेगा-

(I) पेंशन योजनाओं के लिए आरंभिक ग्राहक पारस्परिक क्रिया के सम्बन्ध में कर्तव्य:

(क) पेंशन योजनाओं के बारे में संभावी अभिदाताओं की शंकाओं पर विचार करना ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम के उपबंधों के अनुसार सूचना, जिसके अंतर्गत पेंशन योजनाओं से सम्बंधित आवेदन प्ररूपों, प्रस्थापना दस्तावेजों से सम्बंधित सूचना या कोई अन्य प्रचार सामग्री भी है, उपलब्ध कराना और प्रदर्शित करना।

(II) अभिदाता के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में कर्तव्य :

(क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17), जिसमें उसके संशोधन भी हैं और उसके अधीन समय-समय पर लागू अपना ग्राहक जानो सम्बन्धी दस्तावेजीकरण तथा/या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई तरीके के साथ सम्यक रूप से भरे गए आवेदन प्रारूप प्राप्त करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा सभी अभिदाताओं के लिए अपना ग्राहक जानों सत्यापन प्रक्रियाओं का प्रभावपूर्ण उपयोग करके ग्राहक सम्बन्धी सम्यक तत्परता प्रक्रियाएं करेगा ;

(ख) उपस्थिति अस्तित्व, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित सेवा मानकों या निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्दिष्ट जांचों को करेगा ;

(ग) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 17), जिसमें उसके संशोधन भी हैं और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए विनियमों के यथा लागू उपबंधों के अनुसार, उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं के सभी संव्यवहारों को बनाए रखेगा और उनकी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेगा ;

(घ) उपस्थिति अस्तित्व व्यक्तिगत पेंशन खाता खोले जाने के समय आरंभिक अभिदाय और अभिदाताओं के तत्पश्चातवर्ती अभिदायों के संग्रहण और पारेषण के साथ उसको न्यासी बैंक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) उपस्थिति अस्तित्व केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उसके प्रतिनिधि को अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप और उसके समर्थनकारी दस्तावेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य माध्यम या तरीके से अभिदाता द्वारा प्राप्त सूचना बांटेगा ;

(च) उपस्थिति अस्तित्व अभिदाता के अभिदायों को न्यासी बैंक द्वारा बनाए रखे गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते में अंतरण करेगा और उपस्थिति अस्तित्व सम्बन्धी सेवा मानकों के तहत निर्धारित समयसीमा या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के पास की अभिदाता अभिदाय फाइलों को अपलोड करेगा ।

(III) उपस्थिति अस्तित्वों द्वारा निम्नलिखित निधि अभिदाय संकलन कार्य निष्पादित किये जाएंगे :

(क) उपस्थिति अस्तित्व, अपने अंतर्निहित अभिदाताओं के लिए विश्वसनीय संकलन ढांचा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करेगा ;

(ख) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व, "पीओपी का नाम-संकलन खाता- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" के नाम पर एक संकलन खाता रखेगा तथा ऐसा खाता गैर-आहरित खाता होगा जो कि केवल एनपीएस न्यास में निधियां स्थानांतरित करने के विकल्प के साथ उपलब्ध होगा । संकलन राशि को स्थानांतरित करने का प्राधिकार उपस्थिति अस्तित्व के पास होगा ।

किन्तु ऐसे संकलनकर्ता या अटल पेंशन योजना-सेवा प्रदाता जो पहले से पंजीकृत हैं तथा जिनके भिन्न नामों तथा प्रयोग के साथ खाते हों, इस विनियम की अधिसूचना तिथि से 90 दिनों की समयसीमा के भीतर इस शर्त का अनुपालन करेंगे ।

(2) अभिदाता के अनुरोधों का अनुपालन, जो कि निम्नानुसार है :-

(क) उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं के स्कीम तथा पेंशन निधि बदलने सम्बन्धी अनुरोधों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं से प्राप्त सभी अनुरोधों को यथाउपबंधित सेवा मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण में अपलोड करेगा ;

(ग) अभिदाताओं द्वारा निधियों से रकम निकालने सम्बन्धी अनुरोधों के सम्बन्ध में, उपस्थिति अस्तित्व सेवा मानकों द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या यथासंशोधित, पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत प्राधिकरण द्वारा ज़ारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार धन निकालने के लिए या पेंशन योजनाओं से निकलने के लिए, अभिदाताओं से अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा । उपस्थिति अस्तित्व उस सेवा के लिए प्राधिकरण द्वारा जो अनुज्ञात हो उससे भिन्न कोई अतिरिक्त प्रभार प्रभारित नहीं करेगा ; जब तक प्राधिकरण द्वारा आज्ञा न दी गयी हो ;

(घ) उपस्थिति अस्तित्व, एक उपस्थिति अस्तित्व से बदलकर दूसरे उपस्थिति अस्तित्व या किसी अन्य उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता शाखा में जाने सम्बन्धी अभिदाता के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) उपस्थिति अस्तित्व, अभिदाता से सभी अनुरोधों को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(च) उपस्थिति अस्तित्व शिकायतों को प्राप्त करने, उन्हें केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्रणाली में अपलोड करने तथा उनसे सम्बंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(छ) उपस्थिति अस्तित्व-उप ईकाई सेवा मानकों या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य सेवामानकों का पालन करेगा ।

(3) उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर दिए जाने के दशा में या जहाँ वह उपस्थिति अस्तित्व नहीं रहता है उस दशा में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं के सभी आंकड़े या अभिलेख या दस्तावेज या धनराशि (असमशोधित निधियां और वे समशोधित निधियां जो न्यासी बैंक को अंतरित नहीं की गई हैं) किसी दूसरे उपस्थिति अस्तित्व को, जिसे प्राधिकरण द्वारा पर्यवसान के समय, सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अथवा नियुक्त किये जाए, अंतरित करेगा, ऐसे सभी दस्तावेज़ और अभिलेख नए उपस्थिति अस्तित्व को या उसके उत्तरवर्ती को, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, निःशुल्क अंतरित किए जाएंगे ;

(ख) ऐसे उपस्थिति अस्तित्व, जिसे ऐसे दस्तावेज़ और अभिलेख अंतरित करने का निदेश दिया गया है, उत्तरवर्ती उपस्थिति अस्तित्व को सभी आवश्यक सहयोग और समर्थन देगा;

(ग) ऐसे दस्तावेज़ और अभिलेख अंतरित किए जाने पर, अंतरक उपस्थिति अस्तित्व को अंतरिती उपस्थिति अस्तित्व से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अभिलेख अंतरित कर दिए गए हैं;

(4) विनियम 3 के उपविनियम (iv) तथा/या (v) के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व, पेंशन योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं या बैंकिंग अभिकर्ताओं को सुविधाप्रदानकर्ता के रूप में संलग्न रह सकते है, किन्तु पेंशन योजनाओं के लिए सुविधाप्रदानकर्ताओं का प्रयोग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा उपस्थिति अस्तित्व सुविधाप्रदानकर्ता के कार्य निष्पादन के दौरान किये गए कृताकृत के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

16. अभिदाताओं से एकत्रित किए जाने वाले प्रभार – (1) जो प्रभार उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अभिदाता से एकत्रित किए जाएं, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाअधिकथित सीमा, संग्रहण के तरीके और रीति के अध्यधीन होंगे ।

(2) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रभारों से भिन्न कोई अन्य प्रभार अभिदाताओं से संगृहित नहीं किया जाएगा ।

17. लेखाबहियों को बनाए रखना और लेखाओं की संपरीक्षा

(1) उपस्थिति अस्तित्व द्वारा निम्नलिखित लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी –

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण से प्राप्त और उसको प्रस्तुत आवेदनों का और ऐसे सभी आवेदकों के लिए जनित्र स्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्याक डाटा के ब्यौरे ;

(ख) अभिदाताओं से- नकद रूप से या चेक द्वारा या प्रेषण के किसी प्राधिकृत प्ररूप में-प्राप्त धनराशि के ब्यौरे ;

(ग) दिन प्रतिदिन आधार पर धारित नकदी के ब्यौरे;

(घ) न्यासी बैंक को प्रेषित धनराशि के अभिदातावार ब्यौरे;

(ङ) केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण को भेजे गए अनुदेशों का अभिदातावार ब्यौरा ।

(2) उपस्थिति अस्तित्व अपने क्रियाकलापों के लिए प्रभागीय लेखांकन पद्धति (सुसंगत लेखांकन मानकों के अधीन) का अनुसरण करेगा और उसकी संपरीक्षा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार से की जाएगी । ऐसी संपरीक्षा का प्रारूप और प्रविषय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों आदि के अनुरूप होगी। संपरीक्षा प्रमाणपत्र उपस्थिति अस्तित्व की लेखा बहियों को यथासंभव शीघ्रता से किन्तु अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात्, प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

18. पेंशन योजनाओं से सम्बंधित खातों का अन्य कारबारों से पृथककरण – प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व यह सुनिश्चित करेगा की पेंशन योजनाओं सम्बन्धी विषयों पर, जिनके अंतर्गत पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में लेखाओं, निधियों को बनाए रखा जाना भी है, उसके अन्य कारोबार सम्बन्धी गतिविधियों से पृथक् रूप में या सुभिन्न रूप में बनाए रखे जाएं ।

19. पद्धतियां और प्रक्रियाएं—(1) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व के पास सभी तकनीकी सामर्थ्य, अवसंरचना और आवश्यक पद्धतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जो अन्य मध्यवर्तियों को समन्वय करने में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हों ।

(2) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व अपने उन कर्मचारियों या व्यक्तियों द्वारा, जिनकी सेवाएं उसने उपगत की हैं, कार्य करने के कृताकृत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

20. अभिदाता की शिकायतों का निवारण—(1) अभिदाता की शिकायतों के निवारण का उपस्थिति अस्तित्व का उत्तरदायित्व ऐसा होगा जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 या उसके संशोधनों या प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों में यथा उपबंधित हैं । उपस्थिति अस्तित्व यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदाताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण का प्रभावी तंत्र विद्यमान हो और शिकायतों की तत्पर और निष्पक्ष रीति में समीक्षा की जाए और उनको दूर किया जाए ।

(2) उपस्थिति अस्तित्व, अभिदाता के साथ संबंधों की शुरुआत के समय और ऐसे अन्य समय पर, जब अभिदाता द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना की अपेक्षा करने की संभावना हो, —

(i) अभिदाता का किसी शिकायत का निवारण कराने की ईप्सा करने के अधिकार, जिसके अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 या उसके संशोधनों या प्राधिकरण द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों के तहत निवारण का अधिकार भी है, के बारे में ;

(ii) उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अपने अभिदाताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में, अभिदाताओं को सूचित करेगा ।

(3) उपस्थिति अस्तित्व शिकायत निवारण तंत्र को अपनी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा ।

21. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति – (1) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा अभिदाता की शिकायतों के निवारण के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों का उसके द्वारा पालन किए जाने को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) अनुपालन अधिकारी, किसी भी प्रकार के गैर-अनुपालन को तत्काल तथा स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा ।

22. आचार-संहिता—प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट आचार-संहिता का सभी समयों पर अनुपालन करेगा ।

अध्याय 4

निरीक्षण और संपरीक्षा

23. निरीक्षण और संपरीक्षा—(1) प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे**,** किसी समय प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, उपस्थिति अस्तित्व की लेखा बहियों, अभिलेख, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित भी हो सकेंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां, अभिलेख, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और दस्तावेजों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में बनाए रखा जा रहा है ;

(ख) यह अभिनिश्चित करना कि क्या यथोचित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित किया गया है और क्या उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है;

(ग) यह अभिनिश्चित करना कि अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं का पालन किया जा रहा है ;

(घ) अभिदाताओं, नोडल अधिकारियों, मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति अस्तित्व को सौंपे गए क्रियाकलापों से सम्बंधित है, प्राप्त शिकायतों की जांच किया जाना ;

(ङ) ऐसे विषयों में जो अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाएं, स्वतः-संज्ञान में जांच किया जाना ।

(3) प्राधिकरण, उप विनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या संपरीक्षा कराने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है या किसी अन्य 'अर्हक संपरीक्षक' को नियुक्त कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए**,** अर्हक संपरीक्षक का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1) की धारा 226 या कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत उसका है ।

24. निरीक्षण और संपरीक्षा के पूर्व सूचना—(1) विनियम 23 के अधीन कोई निरीक्षण या संपरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक उपस्थिति अस्तित्व को दस कार्य दिवस की सूचना देगा:

परन्तु यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या संपरीक्षा आवश्यक है, तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) निरीक्षण या संपरीक्षा के दौरान, उपस्थिति अस्तित्व, जिसके विरुद्ध निरीक्षण या संपरीक्षा की जा जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्धकर होगा।

25. निरीक्षण और संपरीक्षा पर बाध्यता—(1) ऐसे उपस्थिति अस्तित्व का, जिसके कार्यों का निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा की वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण की पुस्तकों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों को, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करे और प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए क्रियाकलापों से सम्बंधित ऐसे विवरण और सूचना, जो अपेक्षित हों, दे।

(2) उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुँच की अनुज्ञा देगा और उपस्थिति अस्तित्व या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की राय में सुसंगत हों, निरीक्षण या संपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा।

(3) उपस्थिति अस्तित्व का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को या संपरीक्षक को निरीक्षण या संपरीक्षा के सम्बन्ध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे जिसकी प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त रुप से अपेक्षा करे।

26. रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना—(1) निरीक्षण या संपरीक्षा पूर्ण होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह अभिदाताओं के हित में और उचित समझे।

(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, स्वतः-संज्ञान से या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा।

27. निरीक्षण या संपरीक्षा फीस का संदाय—प्राधिकरण, प्रत्यक्ष रुप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय उपस्थिति अस्तित्व से वसूल करने का हकदार होगा।

28. निरीक्षण और संपरीक्षा—उपस्थिति अस्तित्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, उसके परिसर क्षेत्र, लेखा बहियों, अन्य अभिलेख तथा सूचना, निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्धारित हो, जैसा भी अभिदाताओं की हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो, तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।

अध्याय-V

प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण और व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

29. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन—(1) जहां कोई ऐसा उपस्थिति अस्तित्व, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है—

(क) किन्हीं ऐसी शर्तों का, जिसके आधार पर उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, पालन करने में असफल रहता है ;

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या ज़ारी किए गए किन्ही मार्गदर्शक सिद्धांतों, अधिसूचनाओं, निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है ;

(ग) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापों में आलिप्त रहता है या अपना कारबार ऐसी रीति में करता है जो अभिदाताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ;

(घ) प्रचालन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है ;

(ङ) अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ;

(च) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जांच में सहयोग नहीं देता है ;

(छ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रस्तुत व्यवसाय सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में या सभी रजिस्ट्रीकृत उपस्थिति अस्तित्वों को लागू किसी अन्य समान मानदंडों के विरुद्ध उपस्थिति अस्तित्व द्वारा किए गए नए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता रजिस्ट्रीकरणों के निबंधनानुसार अपने कार्य का कालिक पुनर्विलोकन करने में असफल रहता है ;

(ज) अधिनियम की धारा 28 के अधीन यथावर्णित कार्यों में कोई चूक करता है,

वहां प्राधिकरण, अधिनियम, विनियमों, उसके अधीन ज़ारी निर्देशों, अनुदेशों या परिपत्रों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे उपस्थिति अस्तित्व के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन करने सहित इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में ऐसी कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई, जो समुचित समझी जाए, कर सकेगा ।

(2) एक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर उपस्थिति अस्तित्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन विनियमों में यथा वर्णित पात्रता की शर्तों का रजिस्ट्रीकरण अवधि और उसके विस्तार की अवधि की सम्पूर्ण प्रवर्तनावधि के दौरान सर्वथा पालन किया जाए, जिसमें असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा । रजिस्ट्रीकृत उपस्थिति अस्तित्व द्वारा प्राधिकरण को पात्रता की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर, प्राधिकरण द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं के बंद होने के तीस दिन के भीतर दिया जाएगा ।

30. किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण – (1) कोई ऐसा उपस्थिति अस्तित्व, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है, जो अपने कार्यकलाप छोड़ना चाहता है और प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राधिकरण से ऐसे अभ्यर्पण का अनुरोध कर सकेगा ।

(2) इन विनियमों के अधीन ऐसे अनुरोध का निस्तारण करते समय प्राधिकरण, सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व से प्राधिकरण का ऐसे कारकों पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक भी सम्मिलित हैं, किन्तु ये निम्नलिखित तक सीमित नहीं है—

(क) उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उसके स्वयं के खर्चे और व्यय पर सुसंगत अधिनियम, विनियमों और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए लिए की गयी व्यवस्था ;

(ख) अभिदाता की शिकायतों का निवारण ;

(ग) अभिदाताओं के अभिलेखों, निधियों या प्रतिभूतियों की उनके स्वयं के खर्चे और व्यय पर अंतरण;

(घ) अभिदाताओं की सतत सेवा सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा की गयी व्यवस्था ;

(ङ) व्यतिक्रम या लंबित कार्रवाईयां, यदि कोई हों ;

(च) अभिदाताओं के हित में कोई भी अन्य मामला ।

(3) अभ्यर्पण सम्बन्धी अनुरोध स्वीकार करते समय प्राधिकरण उपस्थिति अस्तित्व पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो पेंशन योजनाओं जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी सम्मिलित है के अभिदाताओं हित संरक्षण के लिए उचित समझे और सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व ऐसी शर्तों का पालन करेगा ।

(4) किसी ऐसे उपस्थिति अस्तित्व को उसके ऐसे प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ की गई है या अनुध्यात की गई है ।

31. प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण का प्रभाव- (1) प्रमाणपत्र का निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण की तारीख से ही सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व—

(क) अभिदाताओं या संभावी अभिदाताओं से कोई अतिरिक्त सुपुर्दगी नहीं लेगा या कोई नई अंशदान राशि या सूचना संगृहीत नहीं करेगा । ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान वह ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था ;

(ख) अपने अभिदाताओं को, यथास्थिति, उनकी रकम या पेंशन खाते में अन्य हितों को किसी अतिरिक्त खर्चे के बगैर, अंतरण करने की अनुज्ञा देगा ;

(ग) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों के सम्बन्ध में उपबंध करेगा ;

(घ) ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जो प्राधिकरण द्वारा, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा, आदेश पारित करते समय, ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों तथा ऐसी सूचना या रकम के सम्बन्ध में कार्रवाई भी है जो ऐसे उपस्थिति अस्तित्व की अभिरक्षा या नियंत्रण में है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण या रद्दकरण या निलंबन की तारीख से ही सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व—

(क) प्राधिकरण को, इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस कर देगा और ऐसे क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, स्वयं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा;

(ख) कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था ;

(ग) अपने क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले प्राधिकरण द्वारा यथानिदेशित किसी अन्य उपस्थिति अस्तित्व को अंतरित कर देगा और अपने अभिदाताओं को, उनकी निधियां, बिना किसी अतिरिक्त लागत के अंतरिती इकाई को अंतरण करने की अनुज्ञा देगा;

(घ) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों की बाबत उपबंध करेगा;

(ङ) ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जो प्राधिकरण द्वारा, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा, आदेश पारित करते समय, ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों तथा ऐसी सूचना या रकम के सम्बन्ध में कार्रवाई भी है जो ऐसे उपस्थिति अस्तित्व की अभिरक्षा या नियंत्रण में है ।

32. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) जहाँ अभिहित प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि उपस्थिति अस्तित्व ने, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या किसी अन्य सम्बंधित व्यक्ति ने विनियम 29 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं की जाएगी ।

33. सूचना का जारी किया जाना- (1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसे युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है तो वह, उपस्थिति अस्तित्व या किसी सम्बंधित व्यक्ति को, उससे यह दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए , जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उप विनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलंब लिया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्टें, जिनमें किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों, उपाबद्ध की जाएंगी ।

(4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

34. सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर—(1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा :

परन्तु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा

(2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर हेतु दर्शित करने वाली सूचना का उत्तर नहीं देता है तो अभिहित प्राधिकारी मामले में, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई के लिए अग्रसर हो सकेगा और उसके समक्ष उपलब्ध सारवान तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिश कर सकेगा ।

35. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई—अभिहित प्राधिकारी, अभिहित सदस्य को, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा ज़ारी किए गए निदेशों या दिशानिर्देशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात् एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जहाँ तथ्यों से यह प्रमाणित होता है वहां निम्नलिखित की सिफारिश करेगा—

(क) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण

(ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई नया कार्य या संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारंभ करने से विवर्जित करना;

(घ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के साथ नियोजित या सहयोजित होने से विवर्जित करना;

(ङ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी शाखा या किसी कार्यालय को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्रियाकलाप करने से विवर्जित करना;

(च) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना ;

(छ) कोई अन्य प्रासंगिक मुद्दा ।

36. सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया—(1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण दर्शित करने वाली सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी, जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, ज़ारी करेगा ।

(2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि कोई सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई करने के एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा ।

37. अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषयवस्तु सारवान रुप से समान या समरुप प्रकृति की है, वहां सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा ।

38. आदेश की संसूचना – (1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गयी प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा पारित प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा ।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति उपस्थिति अस्तित्व या सम्बंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा ।

39. शास्ति और न्यायनिर्णयन—उपस्थिति अस्तित्व या किसी सम्बंधित व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015, ऐसे संशोधित के अनुसार किया जाएगा ।

40. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील—उपस्थिति अस्तित्व या कोई अन्य सम्बंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है तो अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(क) " अभिहित प्राधिकारी" से विनियम 32 के उप विनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित सदस्य" से प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अभिहित अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(ग) "सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना ज़ारी की गयी है ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण बाध्यताएं

41. अभिदाताओं को सन्देय क्षतिपूर्ति—उपस्थिति अस्तित्व या उपस्थिति अस्तित्व की उप-ईकाई के सेवा मानकों या प्राधिकरण द्वारा ज़ारी कोई दिशानिर्देशों, जिनमें अभिदाताओं की सेवाओं के प्रावधानों के लिए प्रदान समयसीमा सम्मिलित है का पालन करने में असफल रहने की दशा में तथा उसके कारण अभिदाता को होने वाली किसी प्रकार की हानि या असुविधा होने पर, इस सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुसार या संदर्भित सेवा मानको या दिशानिर्देशों में वर्णित क्षतिपूरक सीमाओं के अनुसार ऐसे उपस्थिति अस्तित्व या उपस्थिति अस्तित्व की उप-ईकाई अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगी :

परन्तु इसकी आवश्यकता नहीं होगी यदि अभिदाता को किसी भी हानि या असुविधा का कारण सिद्ध नहीं होता है ।

42. रिपोर्ट और प्रकटन—उपस्थिति अस्तित्व प्राधिकरण को, इस विनियम और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ज़ारी अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों में ज़ारी किए गए प्ररूपों में और निर्धारित अंतरालों पर पेंशन योजनाओं जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सम्मिलित है, पर संपादित कार्य और सम्बंधित विषयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

43. गोपनीयता—उपस्थिति अस्तित्व, किसी भी पेंशन योजना जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी सम्मिलित हैं, के अधीन उसे प्राप्त सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना की बाबत पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। उपस्थिति अस्तित्व, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा डाटा या सूचना, ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो सम्यक विधि प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा। उपस्थिति अस्तित्व अभिदाताओं की व्यक्तिगत सूचना और डाटा के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाए रखेगा और डाटा का संरक्षण अनुसूची III में अधिकथित अनुबंधों के अनुसार करेगा।

44. कृत्यों का समनुदेशन—(1) उपस्थिति अस्तित्व, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों या बाध्यताओं को, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर किसी व्यक्ति को अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा।

(2) कृत्यों के समनुदेशन के लिए इच्छुक उपस्थिति अस्तित्व, विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में सम्पूर्ण ब्यौरे देते हुए, जिसके अंतर्गत उस ईकाई की, जिसको उपस्थिति अस्तित्व कृत्यों का समनुदेशन करना चाहता है, कार्य-योजना भी सम्मिलित है, प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसे प्ररूप पर उपस्थिति अस्तित्व और कृत्यों के प्रस्तावित समनुदेशिती, दोनों, के हस्ताक्षर होंगे। इस विनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी समनुदेशिती को उपस्थिति अस्तित्व की उप इकाई कहा जाएगा। प्राधिकरण, कृत्यों के समनुदेशन हेतु अनुज्ञा लेने वाले उपस्थिति अस्तित्व द्वारा किए गए ऐसे आवेदन के अनुमोदन के समय उसे देने से इनकार कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा या ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो प्राधिकरण द्वारा ठीक समझी जाएं। प्राधिकरण, ऐसे आवेदन को स्वीकार करते समय, बैंककारी संक्रियाओं के सम्बन्ध में ऐसे निबंधन और शर्तें अनुदेश अधिरोपित या अनुबंधित कर सकेगा जिनमें अभिदाता का अभिदाय अंतवर्लित है।

(3) सम्बंधित उपस्थिति अस्तित्व के मार्फत प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा हेतु उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे :

i. ऐसी ईकाई कोई व्यष्टि नहीं होगी और कम्पनी अधिनियम, 1956 या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित कोई न्यास, रजिस्ट्रीकृत साझेदारी कंपनी है, रजिस्ट्रीकृत होगी और वह वाणिज्यिक लाभ के लिए वित्तीय सेवा उत्पादों के विक्रय, वितरण या सलाहकार सेवाओं का कारबार करती है या नागरिकों में लाभकारी सेवाओं के प्रसार के सामजिक उद्देश्य से कार्य कर रही है ;

ii. ऐसी ईकाई, प्राधिकरण को विहित आवेदन प्ररूप में, किसी रजिस्ट्रीकृत उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अपने आशय की सिफारिश और उसे प्रमाणित करते हुए पांच हज़ार रुपए मात्र की एकमुश्त रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ आवेदन करेगी और यदि प्राधिकरण की राय में आवेदन ठीक है और पेंशन योजनाओं एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हितों को पूर्ण करता है तो वह ऐसी ईकाई को उपस्थिति अस्तित्व के उप ईकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और उसे इन विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर ज़ारी किन्हीं अन्य अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों आदि के अनुसार पेंशन योजनाओं तथा/या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत क्रियाकलापों को करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन में उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई द्वारा कार्य करने में लोप या उसे करने के लिए उपस्थिति अस्तित्व का दायित्व, उपस्थिति अस्तित्व द्वारा उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई को कृत्यों के ऐसे उद्भूत किसी दायित्व की दशा में संयुक्त और पृथक्- पृथक् होगा।

(5) उपस्थिति अस्तित्व के अधीन उपबंधित उपस्थिति अस्तित्व की उप-ईकाई को सन्देय प्रभार उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व की उप इकाई के बीच हुए संविदात्मक करार के अनुसार और उस शर्त के अधीन रहते हुए होंगे कि अभिदाताओं से, किसी विशिष्ट सेवा के उपबंध में उपस्थिति अस्तित्व के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात और समय-समय पर ज़ारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों आदि के माध्यम से अनुज्ञात दरों से अधिक दर पर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

(6) प्राधिकर, ऐसे उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई को दिए गए अनुमोदन को, नए खोले गए पेंशन खातों की संख्या, अभिदाताओं को दी गयी सेवाओं के निबंधनानुसार कार्य निष्पादन के पुनर्विलोकन के आधार पर या यदि प्राधिकरण की राय में यह अभिदाताओं के हित में नहीं है और पेंशन सेक्टर और/ या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के उद्देश्य के हित में नहीं है, तो रद्द कर सकेगा।

(7) उपस्थिति अस्तित्व की ऐसी प्राधिकृत उप ईकाई एक से अधिक उपस्थिति अस्तित्व से संबद्ध हो सकती है।

(8) ऐसी ईकाईयां, जिन्हें उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, अपनी संक्रियाओं को गतिशील बनाने के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् से केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएंगी।

(9) उपस्थिति अस्तित्व की अनुमोदित उप-ईकाई—

(क) उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगी ;

(ख) उपस्थिति अस्तित्व इस विनियम में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगी ;

(ग) प्रत्येक उपस्थिति अस्तित्व के साथ पेंशन योजनाओं से सम्बंधित संव्यवहार से उद्भूत अपने प्राधिकार, उत्तरदायित्वों और पारस्परिक दायित्वों की परिधि को विनिर्दिष्ट करने के लिए एक करार करेगी ;

(घ) पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा ज़ारी नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगी ;

(ङ) पेंशन योजनाओं के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा ज़ारी नियमों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विनिर्दिष्ट बहियों और दस्तावेजों को रखेगी और उनका अनुरक्षण करेगी ;

(च) पेंशन योजनाओं सम्बन्धी कार्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा विहित अपने ग्राहक को जानने सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन करेगी ;

(छ) किसी अभिदाता के सम्बन्ध में पहले से आदान-प्रदान की गई या आदान-प्रदान की जाने वाली सभी सामग्री, दस्तावेज, सूचना या डाटा के सम्बन्ध में सभी समयों पर सर्वथा गोपनीयता बनाए रखेगी ;

(ज) अभिदाताओं के हितों में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट या निर्धारित या पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमिक विकास के लिए, कोई भी अन्य शर्त।

(10) साधारण बाध्यताएं : उपस्थिति अस्तित्व-उप ईकाई —

(i) पेंशन योजनाओं में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक या भावी आवेदक को अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप उपलब्ध कराएगी ;

(ii) आवश्यक दस्तावेजीकरण के साथ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट या विहित विधान में अभिदाता द्वारा सम्यक् रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित, अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप प्राप्त करेगी;

(iii) यह सुनिश्चित करेगी कि अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप के साथ विहित "अपने ग्राहक को जानो" दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं ;

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अभिदाता रजिस्ट्रीकरण प्ररूप सभी प्रकार से पूर्ण है ;

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि अभिदाय केवल ऐसे "उपस्थिति अस्तित्व के, जिसके साथ उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई रजिस्ट्रीकृत है, नाम में संगृहित खाता—"राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" के नाम में लिखे गए चैक/मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा ही संगृहित किया जाएगा। उदाहरण स्वरुप, यदि उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई भारतीय स्टेट बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत है तो वह लिखत " भारतीय स्टेट बैंक संग्रहण खाता—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" के नाम में होगी। उपस्थिति अस्तित्व की उप ईकाई के लिए अभिदाताओं से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का संग्रहण नकद रूप में करना अनुज्ञात नहीं है ;

(vi) यह सुनिश्चित करेगी कि सेवा मानक उपस्थिति अस्तित्व और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बीच हुए करार के अनुरूप है।

अध्याय 7

प्राधिकरण की स्पष्टीकरण और निदेश ज़ारी करने की शक्ति

45. प्राधिकरण की स्पष्टीकरण ज़ारी करने की शक्ति—इन विनियमों के लागू होने या उनके अर्थान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण को ऐसे टिप्पणों या परिपत्रों के प्ररूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत ज़ारी करने की शक्ति होगी जो उपस्थिति अस्तित्व या उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति पर बाध्यकर होंगे।

46. प्राधिकरण की निदेश ज़ारी करने की शक्ति—(1) इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में या उपस्थिति अस्तित्व के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए—

(क) अन्य पेंशन योजनाओं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाताओं से संगृहीत किसी अभिदाय या रकम का ब्याज सहित या उसके बिना प्रतिदाय करने का उपस्थिति अस्तित्व को निदेश देते हुए ;

(ख) कोई अन्य ऐसा निदेश देते हुए, जो मामले की परिस्थितियों में प्राधिकरण ठीक या उचित समझे, आवश्यक निदेश ज़ारी करेगा :

परन्तु कोई निदेश ज़ारी करने के पूर्व प्राधिकरण, सम्बंधित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि यदि परिस्थितियों में तुरंत कोई अंतरिम निदेश पारित किया जाना अपेक्षित है तो प्राधिकरण, कोई असम्यक विलम्ब किए बिना निदेश पारित करने के पश्चात् सम्बंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा।

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./113/18-19]

अनुसूची-I

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(विनियम 10 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण सं.....

एनपीएस तथा/या अन्य पेंशन योजनाओं के लिए उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कारबार करने और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

क. प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण मैसर्स.....को पेंशन योजनाओं, तथा/ या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3() के अनुसार उपस्थिति अस्तित्व के रूप में कार्य करने के लिए यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

ख. उपस्थिति अस्तित्व का रजिस्ट्रीकरण कोड..... है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र,जो अनुदत्त किया गया है, तब तक जब तक, कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व)विनियम, 2018 तथा उसके संशोधनों के अधीन उपबंधित निबंधनों और शर्तों का पालन करने के अधीन रहते हुए विधिमान्य बना रहेगा और उसका किसी अन्य अधिनियम, नियमों या विनियमों के अनुपालन में या उसके अनुरुप अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा।

तारीख :

स्थान: नई दिल्ली

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से

अनुसूची-II

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (विनियम 22 देखें)

आचार संहिता

(1) उपस्थिति अस्तित्व तथा उपस्थिति अस्तित्व उप इकाई, किसी भी अन्य पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के सभी मामलों में का प्रबंध करने में उनके हितों में कोई परस्पर विरोध नहीं होने देगा और सभी अभिदाताओं के हितों को दिया जा सकेगा। यदि अभिदाताओं के हितों में तथा उपस्थिति अस्तित्व या उसके प्रतिनिधि के हितों में कोई परस्पर विरोध होता है तो, वरीयता अभिदाता हितों को दी जाएगी।

(2) अभिदाताओं को पेंशन प्रणाली पर ऐसे उचित प्रकटन तंत्र के माध्यम से, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाविहित किया जाए, पेंशन योजनाओं पर अद्यतन जानकारी, जिससे कि अभिदाता अभिज्ञात विनिश्चित करने में समर्थ हो सके-

(क) अभिदाता को खाता खोलने से पूर्व, ऐसे अभिदाता को उस जानकारी को समझने के लिए पर्याप्त समय देगा।

(ख) किसी तात्विक परिवर्तन होने पर अपनी वेबसाइट पर सतत आधार पर और युक्तियुक्त समय के भीतर या युक्तियुक्त आवधिक अंतरालों पर, जैसा लागू हो ; और

(ग) लिखित रूप में और ऐसी रीति में, जिससे अभिदाता उसे समझ सकता हो, उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किसी सहयुक्त को कोई असम्यक् या अनुचित लाभ नहीं दिया गया है या उसके कारबार के सहयुक्तों में से किसी से ऐसी रीति में बर्ताव नहीं किया गया है जो अभिदाताओं के हितों के प्रतिकूल हो।

(4) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां अपने सभी व्यौहारों में और अपने कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा और ऋजुता के उच्च मानक बनाए रखेगा। वे सभी समयों पर सेवा के उच्च मानक पूरे करेगा, ऐसी सम्यक् तत्परता बरतेगा जिसमें कार्यकौशल और देखरेख के ऐसे मानक विवक्षित हैं जो शुद्ध विपणन पद्धति, सदभाव, अभिदाता की रूपरेखा (प्रोफाइल), अभिदाता की उपस्थिति अस्तित्व पर निर्भरता की सीमा के अनुरूप हो और स्वतंत्र वृत्तिक विवेकबुद्धि का प्रयोग करेगा।

(5) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां, उनकी अर्हताओं या सेवा प्रदान करने की उनकी क्षमता के बारे में या उनकी उपलब्धियों के बारे में मौखिक या लिखित कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं करेगा।

(6) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां, अभिदाताओं के साथ व्यवहार करते समय किसी अनुचित आचरण में अर्थात् ऐसे किसी कार्य या लोप में लिप्त होने से प्रतिसिद्ध है, जो किसी अभिदाता की कोई ज्ञात संव्यवहारिक विनिश्चय को करने के सामर्थ्य को पर्याप्त रूप से कम करता है से जिससे उसके पर्याप्त रूप से कम होने की संभावना है और इसके अंतर्गत अभिदाताओं के साथ ऐसा आचरण भी है, जो भ्रामक या अपमानजनक है।

(7) अनुपालन अधिकारी को प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन किये जाने को मानीटर करने के उत्तरदायित्व जिनमें अभिदाता की शिकायतों का निवारण सम्मिलित है, सौंपा गया है।

(8) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क संकलित नहीं करेगा।

(9) उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाईयां, पर्याप्त प्रक्रियाएं तथा सुविधाएं स्थापित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अभिलेख किसी भी प्रकार की हानि या विनाश से संरक्षित हैं तथा अतिरिक्त सुविधा के प्रबंधन हेतु व्यवस्था की जाए।

अनुसूची-III

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

(विनियम 43 देखें)

उपस्थिति अस्तित्व द्वारा व्यक्तिगत सूचना का संरक्षण

1. व्यक्तिगत सूचना अर्थात् ऐसी कोई सूचना जो अभिदाता से सम्बंधित है या जो अभिदाता की पहचान हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उपलक्षित करने को अनुज्ञात करती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है;

- नाम और संपर्क सूचना ;

-बायोमीट्रिक सूचना, व्यष्टिक की दशा में ;

-वित्तीय उत्पादों में के संव्यवहारों या उनकी अभिधृति से सम्बंधित सूचना ;

- वित्तीय उत्पादों के प्रयोग से सम्बंधित सूचना;या

- ऐसी अन्य सूचना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

2. उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाई-

(क) किसी अभिदाता से सम्बंधित व्यक्तिगत सूचना, उस सीमा से अधिक, जो पेंशन योजनाओं के उपबंधों के लिए अपेक्षित है, संगृहीत नहीं करेगा;

(ख) अभिदाता से सम्बंधित व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता को बनाए रखेगा और उसके सिवाय जहाँ विधि के अधीन अपेक्षित हो उसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करेगा कि उसके पास किसी अभिदाता से सम्बंधित कोई व्यक्तिगत सूचना सही, अद्यतन या पूरी है ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि अभिदाता, किन्हीं ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, अपनी व्यक्तिगत सूचना के बारे में युक्तियुक्त पहुँच बना सकता है :

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपस्थिति अस्तित्व द्वारा निजी व्यक्तिगत सूचना सही, अद्यतन या पूरी हो, अभिदाताओं को उनकी व्यक्तिगत सूचना में परिवर्तन करने का प्रभावी अवसर प्रदान करेगा ।

3. उपस्थिति अस्तित्व और उपस्थिति अस्तित्व उप ईकाई प्रदाता किसी अभिदाता की व्यक्तिगत सूचना, किसी अन्य व्यक्ति को केवल तभी प्रकट कर सकेगा यदि-

(क) उसने प्रकटन के लिए, अभिदाता की सहमति देने से इनकार करने का प्रभावी अवसर देने के पश्चात्, अभिदाता की अनुप्रमाणित लिखित पूर्व ज्ञात सहमति अभिप्राप्त कर ली हो ;

(ख) अभिदाता ने प्रकटन का निदेश दे दिया हो;

(ग) प्राधिकरण ने प्रकटन का अनुमोदन कर दिया हो या आदेश दे दिया हो और जब तक यह सुसंगत विधि या विनियमों द्वारा प्रतिशिद्ध न हो अभिदाता को ऐसी विधि या विनियमों के अधीन ऐसे प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ;

(घ) यदि उपस्थिति अस्तित्व, अन्य व्यक्ति से, इस विनियम के अधीन अपेक्षित रीति में व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कोई ठहराव कर लेता है तो ऐसा प्रकटन वास्तविक या संभावी कपट, अप्राधिकृत संव्यवहार या दावों के विरुद्ध संरक्षण के लिए या उसे निवारित करने के लिए किया जाता है ।

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2018

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (POINT OF PRESENCE) REGULATIONS, 2018

No. PFRDA/12/RGL/139/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (e), (l), (n), (o) , (p) and (w) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement—**(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018.

These regulation aim at encouraging an independent, strong and effective distribution channel for National Pension System and other schemes regulated and administered under the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and to ensure that market practices of the points of presence towards provision of old age income security are fair, efficient and transparent for the promotion and protection of interest of the subscribers.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) On the date of notification of these regulations, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 notified on 04th March, 2015 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015 and amendments made thereof shall be repealed and cease to have effect, save such acts including registrations granted to existing Point of Presences and Aggregators, and compliances to be effected by such entities under the said regulations. The repeal shall not affect the previous operation of the regulations or anything duly done or suffered thereunder, or any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or

incurred thereunder or any penalty, confiscation or punishment incurred or liable to be incurred, in respect of any contravention under the regulation so repealed and any proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any penalty or punishment may be imposed or made as if the regulation had not been repealed. .

2. **Definitions**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "Auditor" means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Citizen of India" means any person qualifying to be a citizen of India under the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);

(d) "Company" means any company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or Companies Act, 2013;

(e) "Compliance officer" means a person of responsibility from the point of presence; designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by the point of presence of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority thereunder;

(f) "Atal Pension Yojana (APY) " means the contributory pension scheme, notified by the Government of India, vide notification number F.No.16/1/2015-PR with effect from 06.10.15 and shall include all amendments thereto;

(g) "Pension Schemes" for the purpose of these regulations shall include the pension schemes regulated by the Authority being the National Pension System (NPS), NPS-Lite-Swavalamban and Atal Pension Yojana (APY) regulated and administered by the Authority or any other pension scheme of the Government of India.

(h) "Point of Presence- sub-entity" means an entity which has been assigned with any of the functions or obligations of a point of presence as specified under these regulations, by a registered point of presence and which has been approved by the Authority.

(i) "National Pension System-Lite" means the scheme under National Pension System providing a feature of optimized group model of National Pension System to subscribers belonging to unorganized sector, of which National Pension System-Swavalamban is a component where Government of India co-contribution was admissible.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF POINTS OF PRESENCE

3. **Categories of the Points of Presence**— (1) Application for registration as Point of Presence shall be made for performing any one or more of the following activities, namely:

i. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for public at large through physical as well as online platforms

ii. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing for citizens at large through online platforms only

iii. National Pension System (NPS) – Distribution and servicing only for own employees and other personnel either through physical or online platforms.

Provided that only such entities shall be permitted to function which has covered its employees for social security benefits under the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 or the Employees State Insurance Act, 1948 or under the Goods and Services Act, 2017 and is registered with authorities under the said enactments, for not less than a period of two years, from the date of the application.

iv. NPS-Lite-Swavalamban scheme.

v. Atal Pension Yojana.

vi. Any other scheme regulated or administered by Authority.

(2) The Applicants are permitted to seek registration to act as a Point of Presence in any or all of the categories as mentioned in sub-regulation (1), subject to its fulfilling the eligibility conditions as are specified. Such applicant may choose to opt for registration for performance of any or all of such activities as permitted under sub-regulation(1), and the application so received in the Authority, shall be considered specifically only in respect of those activity(s) for which it has been received. Any Applicant, who has not chosen to perform more than one activity under sub-regulation (1), at the time of filing its application, shall be eligible to seek registration for another activity, by satisfying the conditions so applicable together with payment of application fee, being fifty percent. of the application fee so stipulated, for each such activity.

4. **Application for grant of certificate of registration**—(1) Any applicant meeting the eligibility criteria specified in this regulation, may apply for grant of a certificate of registration as a point of presence, in such application form as may be decided by the Authority together with a non- refundable application fee of Rupees Ten thousand. The Authority shall acknowledge receipt of the application form within seven days of receipt of such application from the applicant.

(2) The applicant shall pay an initial registration fee of Rupees twenty-five thousand within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Authority about acceptance of its application for grant of certificate of registration as a point of presence.

(3) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions as specified in the application form and these regulations shall be rejected:

Provided that a point of presence proposing to conduct activities pertaining to opening of accounts of and servicing the subscribers of Atal Pension Yojana or offering National Pension System for the benefit of its own employees , shall not be required to pay any application and registration fee.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to withdraw or to complete the application in all respects and rectify the errors, if any, within such time as the Authority may specify.

(4) The Authority may seek additional information from the applicant for processing the application:

Provided that the Authority shall record the reasons in writing for seeking such additional information.

(5) Any point of presence or an aggregator, who was granted a certificate of registration to function as such under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations, 2015 shall continue to act as a Point of Presence and/ or Aggregator, as the case may be and they are deemed to have been registered under these regulations for which purpose it shall be issued a fresh registration under the provisions of these regulations by the Authority. Such point of presence or aggregator may also seek registration additionally for such activities enumerated under sub-regulation(1) of Regulation 3, for which it presently does not have any registration..

(6) Any point of presence dealing with distribution of Atal Pension Yojana(APY) and servicing of subscribers under the said scheme, which was granted a permission to function as such by the Authority prior to the notifications of these regulations may continue to act as such for a period of one hundred and eighty days or such extended period, from the notification of these regulations, or if it makes an application for grant of registration, within ninety days of notification of these regulation or such extended period, till the disposal of its application by the Authority.

5. Fit and proper person-criteria or eligibility—(1) The eligibility criteria as specified under this regulation, shall have to be fulfilled by an applicant, seeking to obtain a certificate of registration to act as a point of presence, on the day on which such application is presented to the Authority. The eligibility criteria, besides such other criteria, that is required to be fulfilled under these regulations, for grant of registration, shall be the following namely:-

(a) registered with and regulated by any regulator in India including the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority and the National Housing Bank.

(b) A company registered in India under Companies Act, 1956 or Companies Act 2013 [with necessary certification from the Reserve Bank of India (for Non Banking Finance Companies (NBFCs), Micro-Finance Institutions (MFIs)]; or entities /departments/ministries of central & state governments or entities created by State or Central Government for any specified group of beneficiaries or under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or any other entity or class of entities which are registered under the relevant laws, if in the opinion of the Authority, such entity or class of entities facilitates development of pension schemes and pension sector by inclusion of their subscriber base.

(c) having a minimum of fifteen branches in India, with each branch having the necessary Information Technology infrastructure and capacity to electronically link to the central recordkeeping agency, registered with the Authority. Each of these branches of the point of presence should have demonstrated capability to electronically transmit the subscriber's contribution and information as per the service standards or relevant guidelines issued by the Authority ;

provided that this requirement shall not be applicable to entities covered under sub-clause (ii) , (iii) and (v) of regulation 3.

(d) minimum net worth (paid-up capital plus free reserves) of rupees seventy five lakhs only which shall include a minimum paid up capital of rupees fifty lakhs as on the last day of the immediately preceding financial year;

provided that such condition shall not be applicable in the case of an applicant (other than a bank) with adequate capital provision or any entities /departments/ministries of the Central or the state governments, proposing to conduct activities under the Atal Pension Yojana (APY) .

(e) absence of convictions, restraint orders or imposition of any major penalty, by any financial sector regulator or by a court of law, in any of the preceding five years for any offence involving moral turpitude, economic offences, violation of any securities or banking law or fraud by the entity or any of its principal officers;

(f) conforming to any other criteria as may be specified by the Authority from time to time in the form of notifications, circulars, guidelines, having regard to the interest of the subscribers and for orderly growth of the pension industry:

(g) shall possess a two year track record of profitability (Profit after tax) as on the last day of the immediately preceding financial year; Provided that such condition shall not apply in respect of applicant(s) being (i)Scheduled Commercial banks (SCBs) holding license issued by the Reserve Bank of India, and proposes to conduct its activities under the Atal Pension Yojana, in which case the capital requirements, specified by the Reserve Bank of India shall be considered, in respect of losses incurred in the preceding years or (ii) an online marketing company distributing pension schemes or entities /departments/ministries of central & state governments.

Provided further that such condition shall also not be applicable, in respect of new Payment banks, Small Finance banks and entities offering like services, if the application to act as point of presence is made within a period of five years from the date of registration of such entity with the concerned regulator, for such activities.

6. Disclosure of information—(1) The Authority having regard to the interest of the subscribers, may make disclosure to the public of the information on such application made by the applicant, by placing such information on a website, as directed by the Authority including a website maintained by the applicant:

Provided that the other relevant information furnished by the applicant and which relates to commercial confidence and private information of the applicant, which it may state as confidential, may not be disclosed by the Authority, subject to the provisions of any law or rules or regulations or any order or decision pronounced by a court of law or tribunal, as the case may be, mandating such disclosure.

(2) Any material change in the information furnished or placed on a website under these regulations shall

be intimated to the Authority by the applicant promptly, but not later than fifteen days of the occurrence of such change.

7. Furnishing of information and clarification—(1) Subject to sub-regulation (4) of regulation 4, the Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority. The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with an application.

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time directed in this regard by the Authority.

8. Verification of information—(1) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information by physical verification of documents, office space, and inspect the availability of office space, infrastructure, and technological support which the applicant is required to have.

(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers or an external auditor or agency.

9. Consideration of application—(1) For considering the eligibility of the applicant and grant of certificate to such applicant, the Authority shall take into account all such matters which it deems relevant to the pension sector and the National Pension System, including but not limited to the following :-

(a) whether the applicant or any of its associates have in the past been refused certificate of registration by any of the regulators including, Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority and National Housing Bank or to any entity which controls the applicant and if so, the ground for such refusal to the applicant or such entity which controls the Applicant, or whether the applicant or its associates or principal officers, have been convicted for any offence involving moral turpitude, economic offence, violation of any securities or banking law or fraud;

(b) whether the applicant satisfies the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations;

(c) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the subscribers or the objective of orderly development of pension sector or of the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

(2) The Authority may invite the applicant to make a presentation to the Authority at a date, time and locations determined by the Authority, if deemed necessary. The purpose of such presentations would be to allow the applicant to present its proposal to the Authority and exhibit the key strengths in its proposals.

(3) Any application for grant of certificate of registration,-

(a) which is not complete in all respects and does not conform to the requirements and the relevant requirements specified in these regulations; or

(b) which does not contain such additional information as required by the Authority; or

(c) which is incorrect, false or misleading in nature; or

(d) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements as set out under these regulations or the relevant regulations; or

(e) which in the opinion of the Authority is not in the interest of subscribers and or the objective of orderly development of pension sector and/ or the National Pension System or any other pension scheme regulated or administered under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013; or

(f) where the applicant is not a 'fit and proper person' or not complying with the requirements as specified in these regulations;

shall be rejected by the Authority for reasons to be recorded in writing by the Authority.

(4) Before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity in writing to make good such deficiencies, which can be removed, within the time specified by the Authority, for the purpose:

Provided that where an application is rejected for the reason, that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate of registration under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

(5) An application for grant of certificate of registration, under regulation 4, which is complete in all respects, shall be disposed of by the Authority, normally within a period of sixty days from the date of receipt of such application.

10. Procedure for grant of certificate of registration—(1) The Authority upon being satisfied that the applicant satisfies the eligibility conditions as specified under these regulations, shall grant a certificate of registration, in the form specified in Schedule-I and send intimation to the applicant in this regard:

Provided that where any proceeding is pending before the Authority or any other regulator or court or tribunal which may result in the suspension or cancellation of the certificate of registration, the Authority may grant a conditional registration.

(2) The successful applicant who has been given the certificate shall be required to submit a security deposit in the form of bank guarantee or bank fixed deposit, with proper lien marking, in favour of the authority, which deposit shall be equivalent to one percent of its net worth or rupees five lakh, whichever is higher. The maximum security deposit shall not exceed rupees twenty lakhs. The stipulated security will not be released to the applicant unless the prior permission of the Authority is obtained

Provided that in respect of an applicant, which proposes to seek registration solely for conduct of activities under the Atal Pension Yojana (APY) scheme or for entities /departments/ministries of central & state governments, the requirement of submission of security deposit shall not be applicable.

(3) If the Authority is *prima facie* of the opinion, that any point of presence or point of presence sub-entity, working under the point of presence and registered with Authority, has violated the terms and conditions of registration or has contravened any provisions of the Act, rules or regulations, the Authority may pass orders for attachment of the security deposit, pending the inquiry or investigation against such point of presence.

(4) Upon the request of the point of presence to waive this requirement of security deposit, the Authority may consider such request for reasons to be recorded in writing, having regard to the interest of the subscribers.

11. Conditions of certificate of registration—Any certificate of registration granted by the Authority to point of presence shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) where the point of presence, proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority, for continuing to act as a point of presence after such change in its status or constitution;

(b) it pays the applicable fees and levies in accordance with the relevant regulations;

(c) it abides by the provisions of the Act, regulations, directions, guidelines and circulars as may be issued by the Authority from time to time;

(d) it meets the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations throughout the tenure of such certificate of registration so granted:

(e) No Point of presence shall commence its business until it has deposited the security deposit as required under these regulations, excepting in case of such entities where such requirement is not applicable.

Provided that the Authority may impose such other and further conditions as it may deem fit in the interest of subscribers and or for the orderly development of the National Pension System or the pension sector or any other pension scheme regulated or administered under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

12. Effect of refusal to grant certificate of registration—(1) Where an existing point of presence has been refused grant of certificate of registration under these regulations, or has surrendered its certificate of registration, or has been directed by the Authority to cease to act as a point of presence, owing to non-payment of renewal fee as required under these regulations or its registration has been canceled or withdrawn or has been directed to be wound up by an order of a court or tribunal, such point of presence shall,-

(a) forthwith cease to act as such point of presence;

(b) transfer its activities to another point of presence which has been granted a certificate of registration for carrying on such activity and allow the subscribers to move to another point of presence, or as per process as directed or framed by the Authority and inform all the underlying subscribers of such a change in Point of Presence, along with the reasons;

(c) make provisions, as regards liability incurred or assumed by the point of presence, if any;

(d) take such other action, within the time limit and in the manner, as may be required under the applicable regulations or as may be directed by the Authority.

(2) While refusing grant of certificate of registration under these regulations to a point of presence, the Authority may impose such conditions upon the point of presence as it deems fit for protection of the interest of subscribers of the point of presence and such conditions shall be complied with.

13. Period of validity of certificate of registration—(1) Subject to compliance with the provisions of the Act, rules and regulations, the certificate of registration granted to a point of presence shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority.

Where a certificate of registration has been granted subject to conditions, the validity of such registration shall be construed as subject to such conditions.

(2) A point of presence may, within ninety days before the expiry of five years from the date of registration or from the date of payment of renewal fee last accepted by the Authority, make an application in the specified form to the Authority for acceptance of the renewal fee.

Provided that if the application along with renewal fee reaches the Authority, not later than one year from the date due for payment of renewal fee, an additional fee of rupees one thousand per month for such period of delay shall be payable by the applicant to the Authority:

(3) The renewal fee shall be a sum calculated at the rate of one-half percent of the charges earned out of activities under National Pension System or other pension schemes put together, in the preceding financial year, subject to a minimum of rupees fifteen thousand and a maximum of rupees one lakh.

Provided that in respect of an applicant which proposes to seek registration solely for conduct of activities under the Atal Pension Yojana (APY) or for entities /departments/ministries of central & state governments this condition shall not be applicable.

14. Exemptions in certain cases from eligibility criteria—(1) If any applicant, does not fulfill the eligibility criteria specified under sub-regulation (c) and (g) of Regulation 5, relating to number of branches and profitability, it may request the Authority, by making an application seeking exemption from fulfillment of such of the eligibility criteria, for just cause to be shown.

(2). If in the opinion of the Authority, the non-fulfillment of the eligibility criteria by the applicant and of which relaxation is sought, would not prejudicially affect the interest of the subscribers, may grant exemption from such criteria, by recording its reasons in writing. The Authority may in such circumstances impose such additional conditions. as it may deem fit for grant of certificate of registration.

CHAPTER III

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF POINT OF PRESENCE

15. Duties and responsibilities of point of presence—(1) The point of presence shall perform the following duties through its service provider branches or offices, including offices where the entire business operations are carried out totally on online platform in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations and any guidelines, directions and service standards issued by the Authority, for the purpose

(I) Duties in relation to initial customer/subscriber interaction for pension schemes:

(a) addressing queries of potential subscribers regarding pension schemes.

(b) providing and displaying information, in accordance with the provisions of the scheme, as approved by the Authority, including information relating to application forms, offer documents or any other publicity material pertaining to pension schemes;

(II) Duties in relation to subscriber registration:

(a) receive the duly filled application form along with the Know Your Customer documentation, as may be applicable from time to time and/or any other mode as directed/specified by the authority and conduct customer due diligence procedures as required under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) including the amendments thereof or any other law through effective use of Know Your Customer verification processes, laid down by the Authority for all subscribers;

(b) the point of presence shall carry out checks, as specified in the service standards prescribed or as per the guidelines laid down by the Authority for the purpose;

(c) the point of presence shall ensure maintenance and reporting of all transactions by subscribers in accordance with the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (17 of 2003) including amendments thereof and the rules framed thereunder from time to time, as may be applicable;

(d) the point of presence is responsible for collecting and transmitting, the initial contribution at the time of opening of an individual pension account and subsequent contributions of subscribers made by them to the Trustee Bank;

(e) the point of presence shall be responsible for delivering the subscriber registration form and supporting documents to the central recordkeeping agency or its representative approved by the Authority or shall share subscriber information as received from him, in any other mode or manner as approved by the Authority;

(f) the point of presence shall transfer the contributions received from the subscriber to the National Pension System Trust account maintained with the Trustee Bank and upload the subscriber contribution files with the central recordkeeping agency within the timeframe laid down under the service standards or as per the guidelines issued by the Authority for the purpose;

(III) The following fund collection function shall be performed by the point of presence:— (a) the point of presence shall ensure that credible collection infrastructure is available to its underlying subscribers;

(b) Every point of presence will open or have a collection account in the name of "Name of the PoP –Collection Account – National Pension System Trust" and such an account shall be a non-withdrawable account with an option to transfer the funds to NPS Trust account only. The authority to transfer the collection amount will reside with the point of presence.

Provided that those aggregators or Atal Pension Yojna-service providers who are already registered and having bank accounts with different nomenclature and usage shall within a period of ninety days from notification of this regulation, comply with this condition

(2) Servicing of subscriber requests such as the following:-

(a) the point of presence shall be responsible for receiving and processing switching requests from subscribers among schemes and among pension fund;

(b) the point of presence shall upload all requests from subscribers into the central recordkeeping agency system within the timelines laid down under any service standards or in accordance with the guidelines issued by the Authority for the purpose;

(c) In respect of the subscriber withdrawal requests, the point of presence shall be responsible for receiving and processing, from subscribers, for withdrawal or exiting from pension schemes within the timelines laid down under the service level standards or any guidelines issued by the Authority under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exit and Withdrawal under National Pension System) Regulations, 2015, as amended. The point of

presence shall not collect from subscribers any extra charge for provision of such service, unless permitted by the Authority;

(d) The Point of Presence shall be responsible for attending to subscriber's request for shift from one point of presence to another point of presence or to another point of presence service provider branch;

(e) the point of presence shall be responsible for receiving and processing all subscriber requests.

(f) the point of presence shall be responsible for receiving, uploading into centralized grievance management system and resolving the grievances pertaining to it..

(g) the point of presence – sub entity shall adhere to the service standards or such standards as per the guidelines laid down by the Authority for the purpose;

(3) The point of presence shall be responsible for the following, in the event of cancellation or suspension of registration by the Authority or where it ceases to be a point of presence:—

(a) the point of presence shall transfer all the data or records or documents or money (uncleared funds and cleared funds that have not been transferred to the Trustee Bank) of subscribers to any other point of presence as may be authorized or appointed by Authority for providing services, at the time of termination. All such documents and records shall be transferred without any cost to the new point of presence or its successor, as may be determined by the Authority;

(b) the point of presence, which has been directed to transfer such documents and records, shall extend all necessary cooperation and support to the successor points of presence;

(c) on transfer of such documents and records, the transferor point of presence shall confirm to the transferee point of presence whether all such necessary documents and records have been transferred;

(4) The point of presence registered for activities under sub-clause (iv) and/or (v) of regulation 3,may engage the services of other service providers or banking correspondents, for facilitating the distribution of pension schemes as facilitators, provided the usage of facilitators for the subject pension scheme is approved by the Authority and that the point of presence solely shall be liable for any acts of omission or commission by the facilitator in discharge of its functions.

16. Charges to be collected from subscribers—(1) The charges that may be collected from the subscriber by the point of presence shall be subject to the limits, mode and manner of collection, as laid down by the Authority from time to time.

(2) No other charges, other than that specified/directed by the Authority from time to time, shall be collected from the subscribers.

17. Maintenance of books of account and audit of accounts—(1) The following books of accounts shall be kept by the point of presence in respect of its activities:—

(a) details of applications received and submitted to the central recordkeeping agency for registration and Permanent Retirement Account Number data generated for all such applicants;

(b) details of money received from the subscribers – in cash, by cheque, or any authorized form of remittance;

(c) details of cash held on a daily basis;

(d) details of subscriber-wise money remitted to the Trustee Bank;

(e) details of subscriber-wise instructions sent to the central recordkeeping agency.

(2) The point of presence shall follow the Segmental Method of Accounting (under the relevant accounting standards), and the same shall be audited as specified/directed by the Authority. The format and scope of such an audit shall be in conformity with the notifications, guidelines, circular etc. issued by Authority from time to time. The Audit certificate shall be submitted to the Authority as soon as practicable upon finalisation of books of accounts of such point of presence, but not later than ninety days from the date of such finalization.

18. Separation of accounts pertaining to pension schemes from other businesses—Each point of presence shall ensure that all matters related to pension schemes including maintenance of accounts, flow of funds in respect of the pension schemes, are maintained separately or distinctly from its other business activities.

19. Systems and procedures—(1) Each point of presence shall have all the technological capabilities, infrastructures and necessary systems and procedures that may be required to enable it to co-ordinate with other intermediaries.

(2) Each point of presence shall be responsible for the acts of commissions or omissions by its employees or the persons whose services it has procured.

20. Redressal of subscriber grievances—(1)The overall responsibility of the point of presence for redressal of subscriber grievances shall be as provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 or any amendments thereof or any guidelines issued by the Authority. The point of presence shall ensure that an effective mechanism to receive and redress complaints from the subscribers, is in place and the grievances are examined and redressed in a prompt and fair manner.

(2) The point of presence shall inform a subscriber at the commencement of relationship with the subscriber and at such other time when the information is likely to be required by the subscriber of :—

(i) the subscriber's right to seek redress for any complaints, including under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievances) Regulations, 2015 or any amendments thereof or any guidelines issued by the Authority ;

(ii) The processes followed by the point of presence to receive and redress complaints from its subscribers.

(3) The point of presence shall display the grievance redressal mechanism prominently on its website.

21.Appointment of Compliance officer—(1) Each point of presence shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance by it of the provisions of Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Authority for redressal of subscriber grievances.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report any non-compliance observed by such officer to the Authority.

22. Code of Conduct—Every point of presence and point of presence sub-entity shall adhere to the code of conduct at all times as specified in Schedule II.

CHAPTER IV

INSPECTION AND AUDIT

23. Inspection and audit—(1) The Authority may if it considers necessary at any time, undertake directly or through its authorized representative an inspection and audit of the books, accounts, records including the electronic records and documents of the point of presence for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include:—

(a) ensuring that the books of account, records including electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

(b) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the point of presence;

(c) ascertaining whether the provisions of the Act or the regulations made or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;

(d) inquiring into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the point of presence;

(e) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may, appoint one or more persons as inspecting officer or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1).

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, the expression "qualified auditor" shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under the Companies Act, 2013.

24. Notice before inspection and audit—(1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 23, the Authority or its authorized representative or auditor shall give ten working days' notice to the point of presence; Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is required for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the point of presence against which the inspection or audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in these regulations.

25.Obligations on Inspection and Audit—(1) It shall be the duty of the point of presence, the affairs of which is being inspected or audited, and of every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records, and other documents in its custody or control and furnish it to him with such statements and information relating to the activities entrusted by the Authority, as may be required, within such reasonable period as may be specified.

(2). The point of presence shall allow the Authority or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the points of presence or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor, are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(3) It shall be the duty of the point of presence to give to the Authority or its authorized representative or auditor all assistance in connection with the inspection or audit which the Authority, or its authorized representative may reasonably require.

26. Submission of report—(1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, who after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

(2)The Authority may *suo motu* or after consideration of the inspection report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.

27.Payment of inspection or audit fees—The Authority shall be entitled to recover from the point of presence such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative.

28. Inspection and audit — The point of presence shall ensure access to the National Pension System Trust, or its authorized representative, the premises occupied by it, books of accounts, other records and information, if so directed by the Authority, for the purpose of any inspection or audit, as may be deemed necessary for the protection of interest of the subscribers.

CHAPTER-V

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT.

29. Cancellation or suspension of certificate of registration—(1) where any point of presence which has been granted a certificate of registration under these regulations—

(a) fails to comply with any conditions subject to which the certificate of registration has been granted to it;

(b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or any guidelines, notifications, directions, instructions or circulars issued thereunder;

(c) indulges in unfair trade practices or conducts its activities in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;

(d) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its area of operations;

(e) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;

(f) does not cooperate in an inquiry conducted by the Authority;

(g) fails in the periodic review of its performance in terms of number of new subscriber registrations done by the point of presence in relation to the business plan submitted at the time of registration or against any other uniform criteria applicable to all the registered point of presence;

(h) commits any acts of defaults as mentioned under section 28 of the Act,

the Authority may, without prejudice to any other action under the Act, regulations, directions, instructions or circulars issued thereunder, by order take such action in the manner provided under these regulations including cancellation or suspension of the registration of such Point of Presence and such other action, as may be deemed appropriate.

(2) Point of presence once registered shall have to ensure that the eligibility conditions as mentioned in these regulations are strictly adhered to, during the entire currency of its registration period and any extension thereto, failing which the registration certificate may be cancelled. A certificate evidencing compliance with the eligibility conditions shall have to be furnished by the registered point of presence to the Authority on annual basis, as per guidelines issued by the Authority.

30. Surrender of any certificate of registration—(1) Any point of presence, who has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made thereunder, desirous of giving up its activity and surrendering the certificate, may make a request for such surrender to the Authority.

(2) While disposing off a request under these regulations, the Authority may require the concerned point of presence to satisfy the Authority of such factors as it deems fit, including, but not limited to the following—

(a) the arrangements made by the Point of Presence, at its own costs and expenses for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the relevant Act, regulations and guidelines;

(b) redressal of subscriber grievances;

(c) transfer of records, funds or securities of the subscribers, at its own cost and expense;

(d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the subscribers;

(e) defaults or pending actions, if any;

(f) Any other matter in the interest of the subscribers.

(3) While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the point of presence as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the pension schemes including the National Pension System and the Point of presence concerned shall comply with such conditions.

(4) No point of presence shall be permitted to surrender its certificate, in respect of which any action for default has been initiated or has been contemplated by the Authority.

31. Effect of suspension, cancellation or surrender of certificate—(1) On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, the concerned point of presence shall-

(a) not undertake any additional assignment or collect any new contributions or information from the subscriber or prospective subscriber. During the period of such suspension, it shall cease to carry on any activity in respect of which the certificate of registration had been granted;

(b) allow its subscribers to transfer, as the case may be, their money or other interests in the pension account without any additional cost;

(c) make provisions as regards liabilities incurred or assumed by it;

(d) take such other action including the action relating to any records or documents and information or money of the subscribers that may be in the custody or control of such point of presence, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as

may be directed by the Authority, while passing the order under these guidelines or otherwise.

(2). On and from the date of surrender or cancellation or suspension of the certificate of registration, the concerned point of presence shall-

(a) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and shall not represent itself to be a holder of the certificate of registration for carrying out the activity for which such certificate had been granted;

(b)cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;

(c)transfer its activities to another point of presence, as directed by the Authority, holding a valid certificate of registration to carry on such activities and allow its subscribers to transfer their funds to the transferee entity, without any additional cost;

(d)make provisions as regards liability incurred or assumed by it;

(e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such point of presence, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under these guidelines or otherwise.

32. Appointment of designated authority—(1) Where it appears to the designated member that any point of presence who has been granted certificate of registration under these regulations or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 29, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager, or any other officer of an equal rank as a designated authority.

(2)No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

33. Issuance of notice—(1) The designated authority shall, if he finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the point of presence or any person concerned requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

34. Reply by noticee—(1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *ex parte* recording the reasons for doing so and make recommendation as the case may be on the basis of material facts available before it.

35.Action in case of default—After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or guidelines or circulars issued by the Authority, the designated authority shall submit a report, to the designated member, wherein the facts so warrant, recommending,-

(a) suspension of certificate of registration for a specified period;

(b) cancellation of certificate of registration;

(c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;

(d) debarring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;

(e) debarring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;

(f) warning the notice;

(g) any other relevant matter

36. Procedure for action on recommendation—(1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

37. The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

38. Intimation of order-—(1) Every report made by a designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the point of presence or other concerned person and also placed on the website of the Authority.

39. Penalty and adjudication—The imposition of penalty, if any, on the point of presence or any person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015, as amended.

40. Appeals to Securities Appellate Tribunal—The point of presence or any person concerned may if aggrieved by any order passed by the designated member prefer an appeal before the Securities Appellate Tribunal under sub-

section (1) of Section 36 of the Act.

Explanation.- For the purposes of this Chapter,-

(a) "designated authority" means an officer of the Authority appointed under sub-regulation (1) of regulation 32;

(b) "designated member" means the Chairperson or a whole-time Member of the Authority designated for the purpose;

(c) "noticee" means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS OBLIGATIONS

41. Compensation payable to Subscribers—In the event of the point of presence or point of presence sub-entity failing to adhere to the Service level standards or any guidelines issued by the Authority, including timelines for provision of services to subscribers and any loss or inconvenience is caused to the subscriber thereby, such point of presence or point of presence sub-entity shall be liable to compensate the subscriber, as per the guidelines issued in this regard by the Authority or as per the compensation limits mentioned in the referred service level standards or guidelines.

Provided that there shall be no requirement of any loss or inconvenience to be proved on the part of the

subscriber.

42. Reports and disclosures—The point of presence shall submit reports on the pension schemes including National Pension System business transacted by it and related matters to Authority in the forms issued and at the defined frequency, as laid down in these regulation, notifications, guidelines and circulars issued by Authority, from time to time.

43. Confidentiality—The point of presence shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received by it under any pension scheme including the National Pension System. The point of presence shall not, without the prior permission of Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law. A point of presence shall maintain confidentiality with respect to personal information and data of the subscribers and protect the data as per the stipulations laid down in Schedule-III.

44. Assignment of functions—(1) A point of presence shall not transfer or assign any of its functions or obligations specified under these regulations, to any person without the prior written consent of the Authority.

(2) The point of presence desirous of assigning the functions shall apply to the Authority in the specified application providing complete details including the business plan of the entity to which the point of presence wishes to assign the functions and such form shall be signed by both the point of presence and the proposed assignee of functions. For the purpose of this regulation, such an assignee shall be called as point of presence–sub entity. The Authority may refuse or reject or impose any additional conditions as deemed fit by the Authority, at the time of approval of such an application by the point of presence seeking permission for assignment of functions. The Authority may impose or stipulate such terms and conditions, including the instructions on banking operations involving subscriber contributions while accepting such an application.

(3) The eligibility criteria for such point of presence- sub entity for seeking registration from the Authority through the concerned point of presence shall be as follows:

i. such an entity shall not be an individual and shall be a company registered under Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013, or a society registered under Societies Registration Act, 1860 or a Trust created under Indian Trusts Act, 1882, a registered partnership firm and should be in the business of dealing with sale, distribution or advisory services of financial services products for commercial gain or working with a social motto of spreading the beneficial services to the citizens;

ii. such entity shall apply to the Authority in the specified application form along with the recommendation and Certification of its intent by a registered point of presence along with a onetime registration fee of rupees five thousand only and if in the opinion of the Authority, the application is in order and serves the interests of the subscribers of pension schemes and National Pension System, it may register such entity as a point of presence-sub entity and allow it to carry on activities under pension schemes and/or under National Pension System, in accordance with these regulations and any other notifications, guidelines, circulars etc. issued by the Authority from time to time.

(4) The liability of the point of presence for any acts of omission or commission, by the point of presence-sub entity in discharge of its functions, shall be joint and several in case of any liability arising out of such assignment, by the point of presence to point of presence-sub entity.

(5) The charges payable to point of presence sub-entity provided under point of presence would be as per the contractual agreement between the point of presence and point of presence sub-entity and subject to the condition that the subscriber should not be charged beyond rates permitted by Authority for the particular service for a point of presence and issued through notifications, guidelines, circulars etc from time to time.

(6) The Authority may cancel the approval granted to any such point of presence-sub-entity based upon the review of its performance in terms of number of new pension accounts opened, services rendered to the subscribers or if in the opinion of the Authority it is not in the interest of subscribers and or the objective of orderly development of Pension Sector and/ or National Pension System.

(7) Such authorized point of presence sub-entity can be affiliated to more than one point of presence.

(8) Such entities which are allowed to function as a point of presence sub-entity shall get itself registered with the central recordkeeping agency post approval from Authority, for activating its operations.

(9) The approved point of presence-sub entity shall—

(a) pay the fees as specified by Authority for registering as point of presence sub-entity;

(b) abide by the Code of Conduct specified in this regulation for the point of Presence;

(c) enter into an agreement with each of the point of presence(s) for specifying the scope of its authority, responsibilities and mutual liabilities arising out of transactions related to pension schemes;

(d) comply with the rules, regulations and guidelines issued by Authority in relation to pension schemes;

(e) keep and maintain the books and documents specified under rules, regulations and guidelines issued by Authority in relation to pension schemes;

(f) comply with the Know Your Customer requirements specified or laid down by the Authority for pension schemes;

(g) at all times maintain strict confidentiality with regard to all matters, documents, information or data already exchanged or to be exchanged in relation to any subscriber.

(h) Any other conditions that may be specified or laid down by the Authority in the interest of subscribers or for orderly growth of pension schemes and National Pension System.

(10) General Obligations: point of presence-sub entity shall—

(i) provide subscriber registration forms to the applicant or prospective applicant for registration in pension schemes;

(ii) receive subscriber registration form in such form as specified or laid down by the authority duly filled and signed by the subscriber along with the necessary documentation;

(iii) ensure that prescribed Know Your Customer documents have been attached with the Subscriber registration form;

(iv) ensure that the subscriber registration form submitted by the applicant is complete in all respects;

(v) ensure that contribution is collected only by means of cheque or Demand Draft drawn in favour of "Name of the point of presence with whom such point of presence-SE is registered – collection account – National Pension System Trust". As Illustration, if the point of presence sub-entity is registered with State Bank of India then the instrument will be in favour of "SBI collection account – National Pension System Trust". Collection of National Pension System contributions by way of cash is not permitted for point of presence sub-entity;

(vi) ensure that Service Standards prescribed for various operational activities are adhered to.

CHAPTER-VII

POWER OF AUTHORITY TO ISSUE CLARIFICATION AND DIRECTION

45. Power of Authority to issue clarifications—In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority shall have the power to issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars, which shall be binding on the point of presence or any person connected with it.

46.Power of Authority to issue directions—(1) Without prejudice to any order under Chapter V of these regulations, the Authority may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of point of presence, issue necessary directions,

(a) directing the point of presence to refund any contributions or money collected from the subscribers under any other pension scheme or under National Pension System with or without interest;

(b) any other direction which the Authority may deem fit and proper in the circumstances of the case:

Provided that before issuing any directions, the Authority shall give to the persons concerned, a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the circumstances warrant that any interim direction is required to be passed immediately, the Authority may give to the person(s) concerned, a reasonable opportunity of being heard after passing the direction, without any undue delay.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./113/18-19]

SCHEDULE–I

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Points of Presence) Regulations, 2018

(See Regulation 10)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION No. …….

Certification of Registration and Commencement of Business as Points of Presence for NPS and/or other pension schemes

a. In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of Section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, the Authority hereby grants this Certificate of Registration to M/s ……..…….. , to act as a Point of Presence to transact in pension schemes, and/or under National Pension System as per regulation 3() of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Points of Presence) Regulations, 2018

b. The registration code of the Point of Presence (POP) is----------

The Certificate of Registration granted shall remain valid unless suspended or cancelled by the Authority and subject to adherence to the terms and conditions provided under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 and any amendments thereof shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Date:

Place: New Delhi

By order

On Behalf of

Pension Fund Regulatory and Development Authority

SCHEDULE-II

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Points of Presence) Regulations, 2018 (See Regulation 22)

CODE OF CONDUCT

(1) Point of presence and point of presence sub-entities shall avoid conflicts of interest in managing the affairs any other pension scheme or under National Pension System and keep the interest of all subscribers paramount in all matters. In case of any conflict between the interests of a subscriber and that of the point of presence or its representative, precedence may be given to the subscribers' interests.

(2) Subscribers shall be provided with updated information on pension schemes through fair disclosure mechanism as may be prescribed by the Authority from time to time to enable informed decision making by the subscriber:

a) Sufficiently before a subscriber opens an account, allow such subscriber reasonable time to understand the information; and

(b) on a continuing basis through its website, and within a reasonable time-period from the occurrence of any material change or at reasonable periodic intervals, as applicable; and

(c) in writing and in a manner that is likely to be understood by the subscriber.

(3) The point of presence and point of presence sub-entities shall ensure that it has not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates in any manner detrimental to interest of the subscribers.

(4) The point of presence and point of presence sub-entities, shall maintain high standards of integrity and fairness in all its dealings and in the conduct of its activities. It shall render at all times high standards of service, exercise due diligence which implies a standard of skill and care that is commensurate with honest market practice, good faith, profile of subscriber, the extent of dependence of the subscriber on the point of presence and exercise independent professional judgment.

(5) The point of presence and point of presence sub-entities, shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about its qualifications or capability to render services or its achievements.

(6) point of presence and point of presence sub-entities are prohibited from indulging in unfair conduct, i.e. an act or omission that significantly impairs, or is likely to significantly impair, the ability of a subscriber to make an informed transactional decision and includes conduct that is misleading or abusive, while dealing with subscribers.

(7) Compliance officer is entrusted with the responsibility for monitoring the compliance with rules and regulations, notifications, guidelines or instructions issued by the authority including redressal of subscriber grievances.

(8) The point of presence and point of presence sub-entities, shall not collect any fee other than as specified by the authority from time to time.

(9) The point of presence and point of presence sub-entities, shall establish adequate procedures and facilities to ensure that its records are protected against loss or destruction and arrangements have been made for maintaining back up facilities.

IndiaCode

SCHEDULE-III

Pension Fund Regulatory and Development Authority [Points of Presence (POP)] Regulations, 2018

(See regulation 43)

Protection of personal information by point of presence

1. Personal information as any information that relates to a subscriber or allows a subscriber's identity to be inferred, directly or indirectly, and includes:

- Name and contact information;
- Biometric information, in case of individuals;
- Information relating to transactions in, or holdings of, financial products;
- Information relating to the use of financial services; or
- such other information as may be specified by regulations

2. A point of presence and point of presence sub-entity, shall –

(a) not collect personal information relating to a subscriber in excess of what is required for the provision of pension schemes;

(b) maintain the confidentiality of personal information relating to subscribers and not disclose it to a third party, except where required under law;

(c) make best efforts to ensure that any personal information relating to a subscriber that it holds is accurate, up to date and complete;

(d) ensure that subscribers can obtain reasonable access to their personal information, subject to any exceptions that the Authority may specify; and

(e) allow subscribers an effective opportunity to seek modifications to their personal information to ensure that the personal information held by the point of presence is accurate, up to date and complete.

3. A point of presence and point of presence sub-entity, provider may disclose personal information relating to a subscriber to a third party only if –

(a) It has obtained prior written informed consent of the subscriber for the disclosure, after giving the subscriber an effective opportunity to refuse consent;

(b) The subscriber has directed the disclosure to be made;

(c) The Authority has approved or ordered the disclosure, and unless prohibited by the relevant law or regulations, the subscriber is given an opportunity to represent under such law or regulations against such disclosure;

(d) The disclosure is made to protect against or prevent actual or potential fraud, unauthorised transactions or claims, if the point of presence arranges with the third party to maintain the confidentiality of the personal information in the manner required under this regulation.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.30 15:46:24 +05'30'